मनोनीत किया जावेगा। ऐसे मनोनीत सदस्यों को प्राधिकरण के अध्यक्ष समय समय पर बदल सकेगी।

6– **समितियों के अध्यक्षः–** समितियों के अध्यक्ष धारा 4 में उल्लेखित प्राधिकरण के सदस्यों में से बनाये जायेंगे। प्राधिकरण के अध्यक्ष समिति के अध्यक्षों व सदस्यों को समय समय पर बदल सकेंगे।

7– **समिति की बैठकें और गणपूर्तिः–** सभी समितियों की बैठकें माह में कम से कम दो बार आयोजित की जायेगी। समितियों का कोरम आधे सदस्यों का माना जायेगा। किसी प्रस्ताव पर बराबर मतों की अवस्था में अध्यक्ष को कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा।

8– **समितियों के सदस्य के कर्तव्यों का निर्वहनः–** इन विनियमों के अन्तर्गत गठित समितियों के लिए सचिव के कर्तव्य का निर्वहन प्राधिकरण के सचिव धारा 8(3) के अनुसारण में करेंगे, किन्तु सुगम कार्य संचालन और सुचारू व्यवस्था की दृष्टि से प्राधिकरण के सचिव अपने अधीन किन्हीं अन्य अधिकारियों को इन समितियों के सचिव के कर्तव्य निर्वहन हेतु अपनी ओर से अधिकृत कर सकेंगे।

समिति के सचिव बैठक समाप्ति के तीन दिन के अन्दर प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को कार्यवाही विवरण की प्रतिलिपि अवलोकनार्थ प्रेषित करेंगे। धारा 4 (3) में उल्लेखित प्रतिबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्राधिकरण के अध्यक्ष किसी समिति के निर्णय को बदल सकेंगे और किसी विषय विशेष पर विचार करने के लिए समितियों को निर्दिष्ट कर सकेंगे।

9– **समिति के लिए एजेन्डाः–** समिति के विचारार्थ प्रस्तुत होने वाले विषयों/प्रकरणों का एजेण्डा आयोजित बैठक से कम से कम तीन दिन पूर्व जारी किया जावेगा। किन्तु एजेण्डे के अतिरिक्त मामलों पर अध्यक्ष व सदस्यों की सहमति से बैठक में विचार किया जा सकेगा। समिति का एजेण्डा समिति के सचिव द्वारा समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन पश्चात् जारी किया जाएगा एवं बैठक की कार्यवाही के आलेख का अनुमोदन अध्यक्ष द्वारा करने के पश्चात् मिनिट्स जारी की जायेगी।

10– **समिति की बैठकों का आयोजन व स्थान निरीक्षणः–** सामान्यतया समितियों की बैठकें प्राधिकरण के मुख्यालय पर आयोजित की जायेगी किन्तु अध्यक्ष की सहमति से जोधुपर शहर में आवश्यकता के अनुरूप दूसरे स्थान पर भी आयोजित की जा सकती है। समिति यदि किसी स्थल का निरीक्षण करना चाहेगी तो प्राधिकरण के सचिव तत्सम्बन्धी व्यवस्था करवायेंगे।

11– **समितियों के विनिश्चयों की अनुपालनाः–** समितियों के निर्णयों की पालना निर्णय के 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व समिति के सचिव का होगा। जहां जिस स्तर पर आदेश के कियान्वयन की कार्यवाही करवानी हो वहां पत्रावली प्रेषित कर शीघ्र पालना करवाई जायेगी। कार्यवाही सचिव द्वारा नहीं करवाने की अवस्था में समिति के अध्यक्ष बिना विलम्ब किये प्राधिकरण के अध्यक्ष की जानकारी में तथ्यों को लाएंगे और प्राधिकरण के अध्यक्ष निर्णय की अनुपालना न होन की स्थिति में उचित व अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए निर्देश प्रदान करेंगे।

12– **समिति के सदस्यों के लिए बैठक का भत्ताः–** समिति के केवल उन सदस्यों को जो पदेन सरकारी अधिकारी नहीं है, प्रत्येक बैठक के भत्ते के रूप में 100 रूपये प्राधिकरण के कोष से देय होंगे।

जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम, 2014

भाग–I सामान्य

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) की धारा 92 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत शक्तियों के प्रयोग में, जोधपुर विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा प्राधिकरण के अधीन नियमित रूप से स्वीकृत पदों पर भर्ती करने, नियुक्ति करने तथा नियुक्ति किए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा की शर्तो के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं प्रयोज्यताः–**

(1) ये विनियम जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम, 2014 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

(3) ये प्राधिकरण के समस्त कर्मचारियों पर तथा इन विनियमों से अनुलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों को धारण करने वाले या उन पदों पर धारणाधिकार (लियन) रखने वाले प्राधिकरण द्वारा नियुक्त समस्त व्यक्तियों पर लागू होंगे, तथा जब तक अन्यथा रूप से अभिकथित न किया जाए, ये निम्न पर लागू नहीं होंगे:–

(i) अधिनियम की धारा 8 की उप–धाराएं (1), (2), (3) एवं (4) तथा धारा 77 की उप–धारा (2) के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्ति तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जिनकी कि नियुक्ति एवं सेवा की शर्तो के लिए विशिष्ट उपबन्ध किए गए हैं या एतत्पश्चात् सरकार के किसी आदेश द्वारा या प्राधिकरण की सहमति से किए जाएंगे;

(ii) भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य निगम या संस्था से विशिष्ट शर्तो या संविदा पर, प्रतिनियुक्ति पर प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति;

(iii) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या कार्य प्रभावित (वर्क चार्ज), आकस्मिक या दैनिक आधार पर लगाए गए कर्मचारी।

2. **परिभाषायें** :– जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में :–

(क) इन विनियमों में प्रयुक्त किए गए, किन्तु इसमें परिभाषित नहीं किए गए, शब्दों एंव अभिव्यक्तियों का अभिप्राय वही होगा जो जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) में उनके लिए दिया गया है।

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 02) से है।

(ग) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी सेवा या पद के सम्बन्ध में प्राधिकरण के अधीन प्रथम श्रेणी की सेवा में सम्मिलित पदों के धारकों के लिए राज्य सरकार से तथा द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी की सेवाओं के लिए आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण होगे। परन्तु प्रथम श्रेणी सेवा में सम्मिलित पदों के धारकों के लिए राज्य सरकार के नियुक्ति प्राधिकारी होने पर भी ऐसे अधिकारियों का लियन प्राधिकरण में ही रहेगा एवं ये अधिकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार में रहेंगे।

(घ) "पद या पदों का प्रवर्ग" का तात्पर्य किसी ऐसे पद या पदों के प्रवर्ग से है जिनका वेतनमान समान है, या जिनके वेतनमान उनके कर्तव्यों, कार्यो, उतरदायित्वों, अर्हताओं एवं उद्देश्य की समान प्रकृति के कारण सचिव द्वारा समकक्ष घोषित किए गए हों एवं जो अन्तः परिवर्तनीय हों।

(ड.) "आयुक्त" का तात्पर्य जोधपुर विकास आयुक्त से है।

(च) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन नियमित आधार पर सेवा में किसी पद पर नियुक्त किया गया हो किन्तु इसमें तदर्थ आधार पर या नियम 24 के अधीन आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति शामिल नहीं है।

(छ) "परिवीक्षा" का तात्पर्य परीक्षण पर नियुक्ति से है।

(ज) विनियम 4 के अन्तर्गत सेवा से भिन्न "अर्हकारी सेवा" या "सेवा" का तात्पर्य नियम 5 के अधीन उस पद/पदों या समानित पद पर, जिससे कि पदोन्नति की गई है, की गई पूर्णकालिक सेवा की ऐसी अविच्छिन्न अवधि से है, जो इन विनियमों के अधीन विहित भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा नियमित चयन के बाद नियुक्ति की तारीख से गिनी गई हो लेकिन इसमें विनियम 24 के अधीन आवश्यक अस्थायी आधार पर की गई सेवा उस समय तक

शामिल नहीं होगी जब तक कि बिना किसी व्यवधान के उसका नियमित चयन न कर दिया गया हो।

(झ) "अर्हकारी परीक्षा" का तात्पर्य पदोन्नति के प्रयोजनार्थ विभागीय या अन्यथा विहित की गई किसी परीक्षा से है।

(ञ) "विनियम" का तात्पर्य जोधपुर विकस प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम, 2014 से है।

(ट) "अनुसूची" का तात्पर्य इन विनियमों से संलग्न किसी अनुसूची से है।

(ठ) "संवीक्षा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 96 के खण्ड (ज) के अनुसरण में विनियम के अधीन निर्धारित उपयुक्ता की प्रक्रिया एवं परिणाम से है।

(ड) खण्ड (ज) के अन्तर्गत सेवा से भिन्न "सेवा" का तात्पर्य पदों के किसी ऐसे ग्रुप या ग्रुपों या पदों के प्रवर्गों तथा उन्हें संस्थायी रूप से धारण करने वाले व्यक्तियों से है जिन्हें इन विनियमों की किसी एक अनुसूची के अधीन सेवा के रूप में वर्गीकृत एवं गठित किया गया है।

(ढ) "संस्थायी नियुक्ति" का तात्पर्य इन विनियमों या इन विनियमों द्वारा अतिष्ठित नियमों के उपबन्धों के अधीन, उस समय प्रभावशील नियमों के अनुसार नियमित आधार पर उचित संवीक्षा, भर्ती, नियुक्ति के बाद किसी स्थायी रिक्ति पर, की गयी नियुक्ति से है तथा इसमें परिवीक्षा पर कोई नियुक्ति या कोई प्रोबेशनर शामिल है, बशर्ते कि बाद में उस पर उसका स्थायीकरण कर दिया गया हो, लेकिन इसमें तदर्थ, आवश्यक अस्थायी आधार पर या अप्रेन्टिस के रूप में नियुक्ति शामिल नहीं है।

(ण) "अस्थायी नियुक्ति" का तात्पर्य विनियम 24 के अधीन अप्रेन्टिस या तदर्थ या आवश्यक अस्थायी रूप से की गई नियुक्ति से भिन्न, किसी अस्थायी या किसी स्थायी पद पर की गई अस्थायी नियुक्ति से है।

(त) "न्यास" का तात्पर्य नगर सुधार न्यास, जोधपुर से है।

(थ) "वर्ष" का तात्पर्य वितीय वर्ष से है।

(द) "राज्य सरकार" से तात्पर्य राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है।

3. **निर्वचनः–** जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान जनरल क्लाजेज एक्ट, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. अपपप) इन विनियमों के निर्वचन के लिये उसी प्रकार लागू होगा जैसे कि वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

4. **संवर्गो, सेवाओं एवं कर्मचारियों के अनुभागों का वर्गीकरण, प्रकृति, स्वरूप एवं संख्या :–**

(1) चतुर्थ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य, प्राधिकरण के अधीन तथा इन विनियमों के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं के पदों का वर्गीकरण, प्रकृति, स्वरूप एवं प्रवर्ग अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट अलग–अलग होंगे। प्रत्येक सेवा एक पृथक् सेवा होगी तथा जब तक अन्यथा उपबन्धित न किया गया हो, विभिन्न सेवाओं, संवर्गो या किसी सेवा के अनुभागों में पदों के धारकों का अन्तःपरिवर्तन या स्थानान्तरण नहीं होगा।

(2) पदों की संख्या वही होगी जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन समय–समय पर प्राधिकरण या कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी। प्राधिकरण या कार्यकारिणी समिति :

(क) समय–समय पर स्थायी या अस्थायी किसी भी ऐसे पद को सृजित कर सकेगी, जिसे आवश्यक समझा जाएगा तथा इसी तरीके से किसी ऐसे पद को समाप्त कर सकेगीय

(ख) समय–समय पर स्थायी या अस्थायी पद को खाली रख सकेगी या अस्थगित रख सकेगी या समाप्त कर सकेगी।

भाग – II

5. **प्राधिकरण के अधीन सेवाओं का प्रारम्भिक गठन :–**

आयुक्त, या ऐसा अधिकारी जिसे उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाए, न्यास के अधीन तथा अधिनियम की धारा 96 के खण्ड ज के अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति द्वारा धारित पद को, जिसे इसमें इसके बाद "पुराना पद" कहा गया है तथा इन विनियमों के अधीन वर्गीकृत एवं संवर्गित पदों या पदों के प्रवर्ग को, जिसे इसमें इसके बाद "नया पद" कहा गया है, पदों की प्रकृति, कर्तव्यों एवं उतरदायित्वों, वेतनमान एवं अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए, समानित करेगा तथा आदेश द्वारा घोषित करेगा। परन्तु यह कि :

यदि "पुराने पद" तथा नये पद के पदनाम एंव वेतनमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उक्त समीकरण करना आवश्यक नहीं होगा बल्कि उसे मान लिया जाएगा।

6. (क) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी जो प्राधिकरण के गठन के ठीक पूर्व नियमित स्वीकृत पद पर सेवा कर रहा था तथा जो इन विनियमों के प्रभावशील होने की दिनांक को, जिसे इसमें इसके बाद "परिवर्तन दिनांक" कहा गया है, प्राधिकरण के अधीन उक्त पद या उच्चतर पद को धारित करता रहता है, अधिनियम की धारा 96 के खण्ड ज के अधीन संवीक्षा के लिए पात्र होगा तथा उनकी उपयुक्तता इस नियम के अधीन गठित संवीक्षा समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी:

परन्तु यह कि :

(i) ऐसे अधिकारी को प्राधिकरण के अधीन आमेलित नहीं किया जा सकेगा यदि या तो, उसने न्यास के अधीन से भिन्न अन्यत्र किसी पद पर धारणाधिकार (लियन) या निलम्बित लियन धारण कर रखा हो, या उस सेवा से भिन्न ऐसी सेवा का सदस्य हो जो पूर्णतया न्यास के कामकाज के लिए बनी हो, या न्यास के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा सकता हो, या प्राधिकरण के अधीन से भिन्न अन्यत्र किसी पद पर आमेलित किये जाने के लिए अधिकृत हो, एवं जो न्यास के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा भर्ती भी नहीं किया गया हो। ऐसे व्यक्ति को, जहां पर वह ऐसा अधिकार रखता है, स्थानान्तरित, पदस्थापित या आमेलित जैसी भी स्थिति हो, किया जा सकेगा।

(ii) इस नियम के उपबन्धों या इन विनियमों के नियम 1 के खण्ड (3) के अपवाद सं. (ii) के होते हुए भी कोई भी बात नियुक्ति प्राधिकारी को कतिपय पदों के सम्बन्ध में, या तो उपर्युक्त परन्तुक (i) में वर्णित किसी अधिकारी को या किसी ऐसे अधिकारी को जो सरकार से या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण से, परिवर्तन दिनांक (चेन्ज ओवर डेट) तक न्यास एवं प्राधिकरण के अधीन, कम से कम एक वर्ष की अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर था, (इस विनियम के अधीन गठित संवीक्षा समिति के द्वारा उनकी उपयुक्तता अभिनिर्णीत करने के बाद) आमेलित करने से प्रवरित नहीं करेगी, यदि ऐसा अधिकारी उसके लिए 30 दिन के भीतर आवेदन–पत्र देता है तथा यदि सरकार या सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण को उस अधिकारी को आमेलित करने में कोई आपति नहीं हो। ऐसे व्यक्ति को उसके पैतृक प्राधिकरण के अधीन अपने धारणाधिकार को समाप्त करने के लिए अपनी सहमति स्पष्ट रूप से देनी होगी तथा उसे या तो त्यागपत्र देना होगा वहां से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी होगी तथा प्राधिकरण की भविष्य निधि में, अपना अवकाश एवं पेंशन अंशदान इत्यादिय यदि कोई हो, सरकार के आदेशो के अनुसार जमा कराना होगा।

(ख) उपर्युक्त परन्तुक (ii) के अधीन आमेलन इस शर्त के अध्यधीन भी होगा कि उसके बाद ऐसे आमेलित अधिकारी के प्रतिनियुक्ति वेतन को यदि कोई हो, प्राधिकरण के अधीन उसके वेतन के स्थिरीकरण में शामिल नहीं किया जायेगा तथा उसे वैयक्तिक वेतन के रूप में समझा जायेगा जिसे भावी वेतन वृद्धियों में आमेलित किया जायेगा।

(ग) इस विनियम से परन्तुक (ii) के अधीन आमेलित अधिकारियों की वरिष्ठता प्राधिकरण के अधीन सम्बन्धित पद पर आमेलन के दिनांक से गिनी जाएगी।

(घ) व्यक्ति जिनके पद समानित किए गए हैं या विनियम 5 के परन्तु (i) के अधीन समानित किये हुए मान लिए गये हैं तथा वे व्यक्ति जो इस विनियम के खण्ड (क) के परन्तुक (ii) के अधीन संवीक्षा के लिए पात्र है; उनकी प्रथम श्रेणी के पदों के मामलों में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति तथा द्वितीय एव तृतीय श्रेणी की सेवाओं के लिए अध्यक्ष द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा, जिसे इसमें इनके बाद क्रमशः राज्य सरकार तथा अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली "संवीक्षा समिति" कहा गया है, संवीक्षा की जावेगी।

(क) प्रथम श्रेणी सेवायें :–

(1) प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग	अध्यक्ष
(2) आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
(3) जिस संवर्ग का पद हो उसके विभाग का अधिकारी जो विभागाध्यक्ष के स्तर से कम का न हो।	सदस्य सचिव

(ख) द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी सेवायें :–

(i)	आयुक्त	अध्यक्ष
(ii)	सचिव	सदस्य
(iii)	शाखा का निदेशक जो प्राधिकरण के अधीन नए पद का नियन्त्रण करता हो या कोई अधिकारी जो अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से सलाह उपरान्त आयुक्त द्वारा मनोनीत किया जावें।	सदस्य सचिव

सचिव अधिनियम की धारा 96 के खण्ड ज तथा इस विनियम के खण्ड (क) के परन्तुक (i) एवं (ii) के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों की एक सूची उनके पूर्ण विवरणों, सेवा पुस्तिकाओं, निजी पत्रावलियों, गोपनीय या कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनों एवं सेवा के सम्पूर्ण अभिलेख जिसमें कोई भी विभागीय जांच प्रतिवेदन आदि भी शामिल है, के साथ संवीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। सचिव द्वारा सम्बन्धित शाखा के अधिकारी प्रभारी से उनके आचरण, सत्यनिष्ठा एवं दक्षता के बारे में एक विशेष प्रतिवेदन भी मंगाया जा सकेगा और उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। समिति उक्त अभिलेख की जांच करने के बाद प्राधिकरण के अधीन नए पद पर सेवा निरन्तर रखने के लिए प्रत्येक अधिकारी की उपयुक्तता या अन्यथा को अभिनिर्णीत करेगी। समिति अपने स्वविवेक पर, किसी व्यक्ति को, विशिष्ट रूप से उस समय जब उसके विरूद्व कोई प्रतिकूल सामग्री हो, किन्तु उसे पूर्व में उसका स्पष्टीकरण करने के लिए अवसर प्रदान नहीं किया गया हो, साक्षात्कार के लिए बुला सकेगी।

7. नये पद के लिए उपयुक्त अभिनिर्णीत किये गये व्यक्तियों को, आदेश के द्वारा उसी पदस्थिति में आमेलित एवं नियुक्त किया जायेगा जिसमें कि वे परिवर्तन दिनांक से पूर्व पुराने पद को धारण कर रहे थे, तथा यदि वे अस्थाई या स्थानापन्न या परिवीक्षा पर थे तो वे विनियमों के अनुसार उनके कोटा एवं क्रम के अनुसार स्थायी रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन समानित नए पद पर स्थायी किए जायेंगे। उनके भावी पारिश्रमिक, धारणावधी (टेन्योर) एंव सेवा की शर्ते परिवर्तित हो जाएगी तथा इन विनियमों तथा प्राधिकरण के अन्य विनियमों एवं आदेशो द्वारा विनियमित होगी। यदि "पुराने पद" और "नये पद" जिस पर प्राधिकरण के अधीन उसे आमेलित किया गया है, के वेतनमानों में अन्तर है, तो वह उतने समय तक के लिए, जितना वह चाहता है, "पुराने पद" के वेतनमान के लिये, विकल्प देने के लिए अधिकृत है। ऐसा विकल्प, इन विनियमों के प्रभावशील होने के दिनांक से, जब तक कि वह सचिव द्वारा न बढ़ा दिया गया हो, 30 दिन के भीतर दिया जा सकेगा, तथा यदि इस अवधि के भीतर कोई अन्य विकल्प प्राप्त नहीं होता है, तो यह समझा जायेगा कि उसने "नये पद" के वेतनमान के लिए विकल्प दे दिया है। अधिनियम की धारा 96 के खण्ड ज के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को जो प्राधिकरण के अधीन आमेलन पर, संवीक्षा के बाद सेवा की नई शर्तो को स्वीकार करने के इच्छुक न हो, विनियम 9 के अधीन नियुक्ति के आदेश से 30 दिन के भीतर एक आवेदन–पत्र देकर राज्य सरकार के अधीन आमेलन के लिए अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया जा सकेगा। विनियम 9 के अधीन आदेश के 30 दिन के भीतर ऐसे

अधिकारी द्वारा आवेदन–पत्र न देने पर यह मान लिया जायेगा कि वह अधिकारी नए विनियमों एवं सेवा की शर्तों को स्वीकार करता है। उन व्यक्तियों को जो संवीक्षा के बाद उपयुक्त अभिनिर्णीत नहीं किए जायेंगे, अधिशेष (सरप्लस) घोषित कर दिया जाएगा एवं उन्हें अधिनियम की धारा 96 के खण्ड ज के अनुसार सरकार द्वारा आमेलित किया जा सकेगा।

8. यदि इन विनियमों के प्रभावशील होने के दिनांक को उपलब्ध नए रिक्त पदों की संख्या संवीक्षा के बाद उपयुक्त अभिनिर्णीत किए गए अधिकारियों से कम हो तो कनिष्ठतम अधिकारी को सरकार द्वारा आमेलित करने के लिए अधिशेष घोषित किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ उन्हें अधिशेष घोषित करने के लिए, यदि उनकी अन्तः पारस्परिक वरिष्ठता इससे पूर्व निर्धारित नहीं की गयी हो तो, उसे सचिव द्वारा युक्तियुक्त सिद्वान्त निर्धारित कर तय किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा। सेवा में पदों के प्रत्येक संवर्ग में उपयुक्त अभिनिर्णीत किए गए अधिकारियों की अन्तः पारस्परिक वरिष्ठता अपरिवर्तित रहेगी, यदि वह परिवर्तन दिनांक से पहले घोषित कर दी गयी हो। यदि अन्तिम अन्तः पारस्परिक वरिष्ठता पूर्व में निश्चित नहीं की गयी हो, तो उनकी वरिष्ठता इन विनियमों के अनुसार निश्चित की जाएगी।

9. संवीक्षा के बाद आमेलन के परिणामस्वरूप की गयी नियुक्ति के अन्तिम आदेश को प्राधिकरण के सूचना–पट्ट पर लगाया जाएगा तथा उसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारी को भी दी जाएगी।

10. संवीक्षा के परिणाम से परिवेदित कोई भी व्यक्ति ऐसे अन्तिम आदेश से 30 दिन के भीतर, तदर्थ पुनर्विलोकन संवीक्षा समिति को अभ्यावेदन दे सकेगा जिसमें (i) आयुक्त अध्यक्ष होंगे तथा (ii) या तो निदेशक, विधि या अधिनियम की धारा 77 मे यथा वर्णित, न्यायाधिकरण का सदस्य होगा, जिसे सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ऐसे मामले में जहां आयुक्त विनियम 6 (घ) के अधीन संवीक्षा समिति का अध्यक्ष है, प्राधिकरण का उपाध्यक्ष पुनर्विलोकन संवीक्षा समिति का अध्यक्ष होगा।निर्णय से पूर्व उक्त समति को अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

भाग–III

गठन एवं भर्ती की सामान्य शर्तें

11. **सेवा का गठन :**

अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सेवा में निम्नलिखित होंगे:–

(क) भाग II के अधीन सेवा के प्रारम्भिक गठन के रूप में संवीक्षा के बाद आमेलन के परिणामस्वरूप सम्बन्धित सेवा में किसी पद पर नियुक्त समस्त व्यक्ति।

(ख) (i) अधिनियम के लागू होने के बाद किन्तु इन विनियमों के प्रभावशील होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर शुद्धतः स्थानापन्न, तदर्थ, अनपेक्षित (fortuitous) स्टाप–गैप या अस्थायी आवश्यक उपाय के रूप में की गयी भर्ती को छोड़कर अन्यथा प्रकार से भर्ती किए गए समस्त व्यक्ति। ऐसे समस्त व्यक्तियों को इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन नियुक्त किया हुआ समझा जाएगा, किन्तु उनमें से वे व्यक्ति जिन्हें परिवर्तन दिनांक तक स्थायी नहीं किया गया है या परिवीक्षा पर है, उसी पदस्थिति में सेवा करते रहेंगे तथा वे उन्ही शर्तो के अध्यधीन रहेंगे जिनमे कि इन विनियमों के अधीन विहित भर्ती के तत्सम्बन्धी तरीके के अनुसार भर्ती किया गया कोई व्यक्ति रहता है, तथा उन्हें स्थायीकरण या पदोन्नति के लिए इन विनियमों के अधीन विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, के लिए जाना होगा।

(ii)(क) इन विनियमों के लागू होने से पूर्व लिपिक वर्गीय पदों पर तदर्थ या आवश्यक अस्थायी आधार पर या स्टाप–गैप व्यवस्था के रूप में नियुक्त किए गए उपर्युक्त उप–खण्ड (i) के अन्तर्गत नहीं आने वाले व्यक्ति तथा वे व्यक्ति जिन्हें अप्रेन्टिस के रूप में या कार्य प्रभारित आधार पर या आकस्मिक भुगतान पर या दैनिक भुगतान के आधार पर लगाया गया था यदि उन्होंने हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उतीर्ण कर ली है एवं उनकी दिनांक 31–03–2014 को दस वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है तथा यदि उनका कार्य

संतोषप्रद पाया गया है, तो उन्हें उन रिक्त पदों पर, जो इन विनियमों के प्रभावशील होने के दिनांक को विद्यमान हों, या जो अगले दो वर्षो में रिक्त होते हों, जिन पदों पर वे इस प्रकार कार्य कर रहे हैं, उनके तत्सम्बन्धी या समकक्ष घोषित नियमित स्वीकृत पदों पर वरिष्ठता क्रम में नियुक्त किया जा सकेगा।

(ख) अवशिष्ट व्यक्तियों को जिन्होंने दिनांक 31–03–2014 को दस वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है तथा जिन्होंने हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उतीर्ण कर ली है, एक विशिष्ट आरम्भिक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए कहा जा सकेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ली जाएगी तथा आयुक्त द्वारा विहित की जाएगी। उनमें से ऐसे व्यक्तियों को, जो इस परीक्षा में उतीर्ण हो गये हों, उन रिक्त पदों पर जो इन विनियमों के प्रभावशील होने के दिनांक को विद्यमान हो या जो अगले दो वर्षो में रिक्त होते हों, जिन पदों पर वे इस प्रकार कार्य कर रहें हैं, उनके तत्सम्बन्धी या समकक्ष घोषित नियमित स्वीकृत पदों पर, प्राप्त योग्यता क्रम में नियुक्त किया जा सकेगा। ऐसे व्यक्तियों को दो वर्षो की अवधि में उपर्युक्त परीक्षा में बैठने के लिए तीन अवसर दिए जाएंगे। जो व्यक्ति दो वर्षो की अवधि में इस उप–खण्ड के अधीन ऐसी नियुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, वे ऐसी नियुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, वे ऐसी नियुक्ति के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

(ग) विनियम 25 के अधीन आवश्यक अस्थायी या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त या पदोन्नत किये गये व्यक्तियों के सिवाय, इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए समस्त व्यक्ति।

12. **भर्ती के तरीके :–**

(1) सामान्य तरीके :–

इन विनियमों या किन्हीं अन्य नियमों या इस सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से बने विनियमों में अन्यथा उपबन्धित किए गए के सिवाय, सामान्यतः पदों के किसी प्रवर्ग में भर्ती निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों द्वारा या अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार की जाएगी :–

(क) सीधी भर्ती द्वारा, जो या तो केवल साक्षात्कार की प्रक्रिया के द्वारा हो सकती है या ऐसे पाठ्य विवरण एवं प्रक्रिया के अनुसार जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की जायें, एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर हो सकती है।

(ख) इन विनियमों के भाग V में विहित प्रक्रिया के अनुसार, पदोन्नतिं द्वारा।

(ग) (i) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सरकार द्वारा नियंत्रित निकाय के किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति या अस्थायी स्थानान्तरण द्वारा।

(ii) ऐसे अधिकारी को, यदि वह ऐसा चाहता है तथा उधार दाता प्राधिकारी की सहमति से, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपने से अगले उच्च अधिकारी की अनुमति से, या यदि वह स्वयं नियुक्ति प्राधिकारी हो तो प्रथम श्रेणी सेवा के अधिकारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा तथा अन्य के लिए आयुक्त द्वारा उसी आधार पर तथा उन्हीं शर्तो पर, जो इन विनियमों के विनियम 6(क) के परन्तुक (ii) में दी गई हैं, प्राधिकरण की सेवा में स्थायी रूप से आमेलित किया जा सकेगा ।

परन्तु यह कि यदि रिक्त पद को उस पद के लिये अनुसूची में विहित तरीके से अर्हता प्राप्त या उपयुक्त अभ्यार्थियों के न होने के कारण, भरा नहीं जा सकता हो तो नियुक्ति प्राधिकारी, अगले उच्च प्राधिकारी की अनुमति से अनुसूची में विहित वैकल्पिन तरीके द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा उसे भर सकेगा।

परन्तु यह और है कि इस तथ्य के होते हुए भी कि कोई रिक्ति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरी जा सकती थी, [प्रथम श्रेणी सेवा के अधिकारियो के लिए राज्य सरकार द्वारा एवं अन्य के लिए आयुक्त उस रिक्ति को प्रतिनियुक्ति द्वारा भर सकेगा।]

(2) विशिष्ट तरीके :

इन विनियमों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी :–

(क) राष्ट्रीय आपातकालीन कर्मचारी–कोई भी व्यक्ति जो आपात स्थिति में सेना/वायु सेना/नौ सेना में भर्ती होता हैं, उसकी भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता एवं स्थायीकरण आदि को सरकार के या भारत सरकार के उन आदेशों एवं अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा जो समय–समय पर आयुक्त द्वारा अंगीकार किए जाए।

(क–1) नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जविप्रा में नियुक्ति हेतु आवंटित आवास विकास संस्थान एवं राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपरण फैडरेशन लिमिटेड के पूर्व कर्मचारियों की सेवाये राज्य सरकार के उन आदेशा/अनुदेशो, जो कि समय–समय पर आयुक्त द्वारा अंगीकार किये जावे, के अनुसार विनियमित की जावेगी एवं प्राधिकरण में इस प्रकार की नियुक्तियां सीधी भर्ती के तहत मानी जायेगी।

(ख)(i) जोधपुर विकास प्राधिकरण के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगारः– यदि कोई कर्मचारी, जिस पर ये विनिमय लागू होते हैं एवं जो नियमित भर्ती के बाद प्राधिकरण के अधीन किसी पूर्णकालिक पद को धारण कर रहा हो, सेवा में रहते हुए मर जाता हैं, तो उसके परिवार के आश्रित सदस्यों में से एक को, पूर्ण विवरण सहित आवेदन–पत्र, मृत्यु की दिनांक से 90 दिवस में देने पर किसी विद्यमान रिक्ति में ऐसे पद पर जो उन रिक्तियों में से जो उपलब्ध हो या भविष्य में हो सकती हो, दूसरे पद जो तृतीय श्रेणी सेवा के पद से उच्चतर न हो, अन्य अपेक्षाओं को शिथिल कर नियुक्त किया जा सकेगा परन्तु शर्त यह हैं वह उस पद के लिए इन विनियमों में निर्धारित आधार भूत शैक्षणिक अर्हतायें या उच्चतम अर्हतायें पूरी करता हो, चाहे बाद वाली स्थिति में उस शैक्षिक परीक्षा में कोई भी श्रेणी विहित क्यों न की गई हो, तथा परन्तु यह और है कि नियुक्ति प्राधिकारी, साक्षात्कार के द्वारा या किसी अन्य ऐसे तरीके से जो उचित समझा जाए, इससे सन्तुष्ट हो कि वह उस पद पर कार्य के न्यूनतम प्रत्याशित स्तर एवं दक्षता को बनाए रखेगा एवं यह कि उसका चरित्र हर दृष्टि से उपयुक्त हैं तथा वह अन्य अभ्यर्थियों के लिए यथा आवश्यक शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं।

(ii) नियुक्ति अधिकारी, नियुक्ति करने के बाद युक्तियुक्त अवधि के भीतर कोई प्रशिक्षण या टंकण गति आदि में निपुण्ता प्राप्त करने के लिए, कोई शर्त, यदि आवश्यक हो, विहित कर सकेगा।

(iii) यह रियायत केवल तभी उपलब्ध होगी जब यदि परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार, भारत सरकार या किन्हीं राज्य सरकारों द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियन्त्रित सांविधिक बोर्ड/संगठन/निगम आदि के अधीन पहले से नियुक्त नहीं हो।

(iv) ऐसा व्यक्ति उस पद के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा के भीतर किन्तु नियुक्त होने के दिनांक को 16 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिये सिवाय इसके कि ऐसे मामले में जिसमें ऐसी मृतक कर्मचारी की एकमात्र पत्नी ही ऐसी नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त या उपयुक्त पाई जाए, तो वहां कोई अधिकतम ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी।

(v) "परिवार" का इस प्रयोजनार्थ तात्पर्य मृतक कर्मचारी के परिवार से हैं तथा उसमें पत्नी या पति, पुत्र एवं ऐसी अविवाहित या विधवा पुत्रियां शामिल होंगी, जो मृतक कर्मचारी पर आश्रित थी :

परन्तु यह कि यदि इन विनियमों के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य पात्र न हो, तो विधवा, सचिव की अनुमति से, अपने किसी ऐसे सम्बन्धी को, जिससे उसकी मदद करने की उम्मीद की जाती हैं, इस शर्त पर मनोनीत कर सकेगी कि वह व्यक्ति अपने वेतन में से समय–समय पर उसकी मासिक परिलब्धियों का कम से कम 1/3 सीधे स्त्रोत से काटने के लिए प्राधिकरण को एक प्रति वचन देगा तथा उसके बाद वितरण अधिकारी इस प्रकार

काटी गई राशि को विधवा के पास सीधे उसके जीवन पर्यन्त या उसके पुनर्विवाह करने या उसके किसी एक पुत्र के द्वारा लाभप्रद नियुक्ति प्राप्त करने, इसमें से जो भी पहले हो उस तक, भेजेगा।

टिप्पणीः– यदि ऐसे परिवार के एक से अधिक सदस्य ऐसी नियुक्ति की मांग करते हों, तो नियुक्ति अधिकारी सम्पूर्ण परिवार के, विशेष रूप से विधवा एवं उसके अवयस्क सदस्यों के, समग्र हित कल्याण को ध्यान में रखते हुए उनके क्लेम का निर्णय कर सकेगा।

13. रिक्तियों का निर्धारण :–

(1) (क) इन विनियमों के उपबन्धों के अध्ययधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष 1 अप्रेल को यथास्थिति वास्तविक रिक्तियों की संख्या का, एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रत्याशित या सम्भावित होने वाली रिक्तियों का, निर्धारण करेगा।

(ख) जहां कोई पद, अनुसूची में यथा विहित किसी एक तरीके द्वारा भरा जाना हो, तो यथा निर्धारित रिक्ति उस तरीके द्वारा भरी जाएगी।

(ग) जहां कोई पद अनुसूची में यथा विहित एक से अधिक तरीके द्वारा भरा जाना हो, तो उक्त (क) के अधीन निर्धारित रिक्तियों पर प्रत्येक तरीके के अनुसार नियुक्ति, पहले भरे गए पदों की संख्या को ध्यान में रख कर विहित अनुपात को कायम रखते हुए की जाएगी। यदि ऊपर विहित तरीके से रिक्तियों पर नियुक्ति करने के बाद, रिक्तियों का कोई भिन्नांश बचता हैं, तो उसे निरन्तर चक्र–क्रम में विभाजित कर दिया जायेगा। जिसमें वर्ष दर वर्ष पहला महत्व पदोन्नति कोटा को तथा उसके बाद विशिष्ट चयन एवं सीधी भर्ती को दिया जाएगा।

(2) यदि कोई रिक्ति, किन्हीं कारणों से उस वर्ष में जिसमें कि वह इन विनियमनों के अधीन भरी जाने के लिए अपेक्षित हैं, विधिवत निर्धारित नहीं की गई हो एवं भरी नहीं गयी हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी पूर्व वर्षो की उन रिक्तियों का भी भूतलक्षी प्रभाव से, वर्षवार निर्धारणा करेगा जो कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए अपेक्षित थी। इस प्रकार निर्धारित की गई रिक्ति, उस रिक्ति के होने के वर्ष के अनुसार भरी जाएगी तथा उन पर नियुक्ति उस वर्ष की 31 मार्च को की हुई समझी जाएगी।

टिप्पणी :– (i) "रिक्तियों" में स्थाई या अस्थाई, एक वर्ष से अधिक समय तक चलने वाली समस्त दीर्घकालिक या उच्चतर रिक्त पद पर पदोन्नति, नियत सेवानिवृति के कारण रिक्तियां, या कार्यकारिणी समिति द्वारा सृजित करने के लिए स्वीकृत पद, शामिल होंगे।

(ii) इन विनियमों के लागू होने के बाद रिक्तियों का प्रारम्भिक निर्धारण इन विनियमों के भाग–II के अधीन संवीक्षा किए गए व्यक्तियों को आमेलित करने के बाद किया जाएगा।

14. अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़ा वर्ग/विकलांग/राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण :–

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़ा वर्ग के लिए रिक्तियों का आरक्षण, जो समय–समय पर सरकार द्वारा घोषित किया जाए, यथा आवश्यक परिवर्तन के साथ अनुसूची में वर्णित सेवाओं में रिक्तियों के मामले में लागू होगा।

(2) पदोन्नति के लिए इस प्रकार आरक्षित की गई रिक्तियां वरिष्ठता–एवं–योग्यता तथा योग्यता एवं वरिष्ठता द्वारा उसी तरीके से भरी जाएगी जो कि सामान्य रिक्तियों पर प्रयोग्य हैं।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने में, पात्र अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं, पदोन्नति के लिए उनके बारे में उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि चयन समिति या विभागीय पदोन्नति समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा तैयार की गई सूची में उनके नाम दिए गए हैं।

(4) रिक्तियों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए पृथक्–पृथक् विहित की गई रोस्टर प्रणाली के अनुसार पूर्णतः विभाजित किया जाएगा। किसी वर्ग विशेष में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं पिछड़ा वर्ग जैसी भी स्थिति हो में से पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थियों के

उपलब्ध न होने पर, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित की गयी रिक्तियां, सामान्य प्रक्रिया के अनुसार सामांन्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी तथा उतनी ही संख्या में सामान्य रिक्तियां परवर्ती वर्ष में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग के लिए अतिरिक्त रूप से आरक्षित की जाएगी। ऐसी आरक्षित रिक्तियां जो इस प्रकार बिना भरी अवशिष्ट रहती हैं, कुल मिलाकर परवर्ती तीन भर्ती वर्षो में अग्रेनीत की जाएगी, तथा उसके बाद वह आरक्षण समाप्त हो जाएगा :

परन्तु यह कि जिन पदों पर या सेवा के किसी संवर्ग की श्रेणी, प्रवर्ग/ग्रुप में पदोन्नतियां इन विनियमों के अधीन योग्यता–एवं–वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं, उनमें रिक्तियों को अग्रेनीत नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि उन पदों या पदों के प्रवर्ग में पदोन्नति कोटा में ऐसा कोई आरक्षण नहीं होगा जिनमें कि सीधी भर्ती का कोटा इन विनियमों में 66.2/3 प्रतिशत या अधिक विहित किया गया हैं।

(5) (क) विकलांग व्यक्तियों के लिए समय–समय पर इस सम्बन्ध में जारी किए गए राज्य सरकार के आदेशानुसार पदों का आरक्षण रहेगा।

(ख) राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे या कम से कम एक आशार्थी को नियुक्ति दी जायेगी जो उपलब्ध हों एवं निर्धारित योग्यतायें पूरी करते हों।

15. राष्ट्रीयता :– प्राधिकरण की किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को या तो भारत, नेपाल या भूटान का नागरिक होना चाहिये या भारत में स्थाई रूप से बसा हुआ या प्रवासी व्यक्ति या अन्य किन्हीं ऐसे देशों से प्रवासी व्यक्ति होना चाहिए जो समय–समय पर सरकार द्वारा उसके अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए निश्चित किए जाएं।

16. चरित्र एवं नियुक्ति के लिए अनर्हताएं :–

(क) सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो सेवा में नियुक्ति के लिए उसे योग्य करेगा।

(ख) कोई भी व्यक्ति, जिसके एक से अधिक पत्नी जीवित हो या जिसके एक पति या पत्नी जीवित या विवाहित ऐसी दशा में हो जिसमें वह विवाह उस पति या पत्नी के जीवन काल में होने के कारण शून्य हो जाता हो, प्राधिकरण की सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप से मुक्त न कर दिया गया हो।

(ग) कोई भी महिला, जिसका विवाह उस विवाह के समय उसके पति की पत्नी जीवित होने के कारण शून्य हो जाता हो, प्राधिकरण की सेवा मे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप से मुक्त न कर दिया गया हो।

(घ) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हैं।

स्पष्टीकरण :– इस उप–नियम के प्रयोजनार्थ दहेज का तात्पर्य वही हैं जो समय–समय पर यथा संशोधित दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 28) में हैं।

17. शारीरिक स्वस्थता :– (1) सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उसे ऐसी किसी भी मानसिक या शारीरिक विकृति से मुक्त होना चाहिए, जिससे सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन में बाधा होने की संभावना हो तथा यदि वह चयनित हो जाता हैं, तो उसे अधीक्षक, महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर। अधीक्षक, मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर से या तत्प्रयोजनार्थ आयुक्त द्वारा घोषित किए गए किसी अन्य रजिस्टर्ड चिकित्या व्यवसायी से उस संबन्ध का एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे प्रगाण–पत्र के प्रस्तुतीकरण को ऐसे अभ्यर्थी के मामले में समाप्त कर सकेगा जो प्राधिकरण के काम–काज के संबंध में पहले से ही सेवारत हो तथा जिसकी डाक्टरी जांच पहले की जा चुकी हो तथा जिसके दो पदों की डाक्टरी जांच के आवश्यक स्तरों को नए पदों के कर्तव्यों के कुशल

निष्पादन के स्तरों के समान माना गया हो तथा जिसकी उम्र के कारण तत्प्रयोजनार्थ उसकी कार्यकुशलता में कमी नहीं हुई हो।

(2) अभ्यर्थी की डाक्टरी जांच का स्तर एवं प्रक्रिया वही होगी जो मय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है।

(3) सेवा में 3 प्रतिशत पदों तक सचिव द्वारा घोषित किए गए पदों पर विशिष्ट प्रकार के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए शारीरिक स्वस्थता के स्तर को उतना शिक्षित किया जा सकेगा जितना राजस्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार नियम, 1976 जिसे समय–समय पर संशोधित किया जा सकेगा, के अधीन उनकी सेवाओं के लिए सरकार द्वारा समान रूप से निर्धारित किया गया हैं। शारीरिक रूप से 'विकलांग' की परिभाषा वही होगी जो पूर्वोक्त नियमों में सरकार द्वारा दी गयी हैं तथा जिनके पास समाज कल्याण के प्रशासनिक विभाग द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे सरकार समय–समय पर विनिर्दिष्ट करें जारी किया गया एक परिचय पत्र हो।

(4) उपरिवर्णित डाक्टरी जांच के लिए फीस का भुगतान अभ्यर्थी द्वारा उन दरों पर किया जाएगा जो सरकार/आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाए।

18. अनुचित एवं बेईमानी के साधन काम मे लेना :–

ऐसे अभ्यार्थी को जिसके लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह घोषित कर दिया जाये कि उसने प्राधिकरण या किसी सरकार के धीन नियुक्ति प्राप्त करने के लिए पक्ष समर्थन का प्रयत्न किया है या अनुचित या बेईमानी के साधन अपनाए है, तो उसे स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए भावी विचार के लिए वंचित किया जा सकेगा।

19. आयु एवं उसमे छूट :–

(1) सिवाय इसके कि जब इन विनियमों से संलग्न अनुसूची में अन्यथा उपबंधित किया गया हो, सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को, आवेदन–पत्र प्राप्त करने के लिए निश्चित किए गए अन्तिम दिनांक को, 18 वर्ष की आयुक्त का होना चाहिए, किन्तु 28 वर्ष की आयु का नहीं होना चाहिए।

(2) उपरिवर्णित उपरी आयु सीमा :–

(क) निम्नलिखित के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी :

(i) महिला अभ्यर्थियो;

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियो;

(iii) प्राधिकरण के मृतक कर्मचारियों के आश्रितो।

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग उन व्यक्तियों के लिए जिन्हे सरकार के अन्तर्गत निर्मित नियमों में घोषित किया जाय, अंधे एवं बधिरों के लिए 10 वर्ष तक की तथा आर्थोपेडिक एवं वाणी के विकलांग व्यक्तियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ग) कोर अनुदेशक (कोर इन्सट्रक्टर) के मामले में राष्ट्रीय छात्र सेना (नेशनल केडट कोर) में की गयी सेवा के बराबर अवधि तक की छूट दी जाएगी तथा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु विहित की गयी अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उन्हे विहित आयु सीमा में समझा जाएगा।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जो उक्त एक से अधिक प्रवर्गों के न्तर्गत छूट प्राप्त करने का पात्र है, आयु में छूट संचयी रूप से, 45 वर्ष की आयु अधिकतम सीमा के अध्यधीन रखते हुए, दी जाएगी।

(3) यह कि रिलीजड इमरजेन्सी कमीशनड अधिकारियों एवं शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड अधिकारियों को सेना से मुक्त करने के बाद भी आयु सीमा में समझा जाएगा (चाहे उन्होने अब आयु सीमा को पार कर लिया हो) यदि वे सेना में कमीशन पद पर ड्यूटी ग्रहण करने के समय उक्त रूप में पात्र थे।

(4) अप्रेन्टिस के रूप में या तद्र्थ या केवल आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य, प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

(5) ऐसे किसी कर्मचारी के लिए जो इन विनियमों के प्रभावशील होने के दिनांक को कम से कम 2 वर्ष की निरन्तर अवधि के लिए स्थायी या स्थायीवत (सेमी–परमानेन्ट) स्थिति में कार्य प्रभारित आधार पर न्यास के अधीन नियुक्त किया गया था, प्राधिकरण के अधीन किसी भी पद पर सीधी भर्ती के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी, परन्तु यह कि वह न्यास या सरकार के अधीन अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के दिनांक को 28 वर्ष की आयु से अधिक का न हो।

20. **शैक्षिक एवं तकनीकी अर्हताएं एवं अनुभव** :– सेवा की सम्बन्धित अनुसूचियों में उल्लेखित विविध पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी आवेदन–पत्र देने के अन्तिम दिनांक को :–

(1) कथित अनुसूची में दी गयी न्यूनतम अर्हताएं एवं अनुभव रखेगा; एवं

(2) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी एवं राजस्थानी रीति–रिवाजों का कार्यकारी ज्ञान रखेगा।

भाग–IV

21. **सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया** :–

(1) **आवेदन–पत्र आमंत्रित करना** :– सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन–पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का समाचार–पत्रों में विज्ञापन देकर या रोजगार कार्यालय को उसकी सूचना देकर या ऐसे अन्य तरीके से जिसे उचित समझा जाय आमंत्रित किए जायेंगे। आवेदन–पत्र ऐसे प्रपत्र में एवं ऐसे तरीके से तथा ऐसी फीस के साथ दिए जायेंगे जो सचिव द्वारा निर्धारित किया जाए।

(2) **आवेदन–पत्रों की संवीक्षा : प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार** :– नियुक्ति प्राधिकारी प्राप्त हुए आवेदन–पत्रों की संवीक्षा करेगा तथा उन्हें उन पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए कहेगा जिन्हें कि ऐसी परीक्षा के द्वारा भरा जाना अपेक्षित है तथा इसके बाद वह साक्षात्कार के लिए उन पात्र अभ्यर्थियों को बुलाएगा जो परीक्षा में योग्यता क्रम में सबसे ऊपर हो, तथा अन्य मामलों में प्रारम्भिक संवीक्षा के बाद या प्रायोगिक परीक्षा यदि ली गयी हो, के बाद, अपने स्वविवेक से उतने ही पात्र अभ्यर्थियों को बुलाएगा जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा साक्षात्कार के लिए वांछनीय समझे गए हों। अभ्यर्थी की उपयुक्तता या अन्यथा के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) **अभिषंशा** :– चयन समिति द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में एक सूची तैयार की जाकर नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी। नियम 22 (4) के अनुसार गठित पदोन्नति समितियां भी चयन समितियों के रूप में कार्य करेगी: परन्तु यह कि अध्यक्ष समिति में एक या अधिक विशेषज्ञों को सहवरित कर सकेगा।

(4) अन्तिम रूप से सूचित की गयी रिक्तियों के 50 प्रतिशत तक की एक आरक्षित सूची तैयार की जा सकेगी जिसमें उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम होंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों को उस दिनांक से जिसको मूल सूची उपलब्ध कराई गई है, 12 माह के भीतर या अगले विज्ञापन की तारीख, जो भी पहले हो उस तक भावी रिक्तियों के होने पर योग्यता क्रम में नियुक्त किया जा सकेगा।

(5) **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन** :–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों का चयन करेगा जो उसे उपलब्ध कराई गई सूची में योग्यता क्रम में सबसे ऊपर होंगे।

(ख) चयन सूची में अभ्यर्थी का नाम शामिल होने मात्र से उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी (द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी सेवाओं के संदर्भ में) द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया से पूर्व चयन सूची का अनुमोदन अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण से करवाया जाना आवश्यक होगा। ऐसी जांच जिसे वह आवश्यक समझे, करने के बाद इससे सन्तुष्ट नहीं हो जाता है कि वह अभ्यर्थी सम्बन्धित पद पर नियुक्ति के लिए सभी अन्य दृष्टियों से उपयुक्त है।

भाग–V

पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए प्रक्रिया

22. **पदोन्नति के लिए सिद्धान्त, पात्रता एवं प्रक्रिया इत्यादि :–**

(1) जैसे ही नियुक्ति प्राधिकारी नियम 13 के अधीन रिक्तियों की संख्या निर्धारित करेगा तथा अनुसूची में दिए गए कोटा के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या विनिश्चित करेगा, वह या तो संवीक्षा करने के बाद या नियमित भर्ती के तरीके से, उन वरिष्ठतम व्यक्तियों की, जो उस अगले निम्नतर पर को धारण करते हैं जिससे कि पदोन्नति विहित की गयी है, तथा जो इन विनियमों के अधीन वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर तथा योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र एवं अर्ह हैं, एक सही एवं पूर्ण सूची तैयार करेगा।

(2) वे व्यक्ति जो चयन के वर्ष में अप्रेल माह की प्रथम तारीख को, अनुसूची में यथा उल्लिखित, न्यूनतम एवं अर्हताएं एवं अर्हकारी सेवा पूरी करते हैं, पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

(3) ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में जिसकी अर्हकारी सेवा में छः माह या इससे कम अवधि की कमी हो, पदोन्नति समिति के स्वविवेक पर, अगले छः माहों में प्रत्याशित रिक्तियों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकेगा।

टिप्पणी :– यदि किसी वर्ष विशेष में किसी पद पर सीधी भर्ती पदोन्नति द्वारा की गयी हो, तो ऐसे व्यक्ति जो भर्ती के दोनों तरीकों के द्वारा उस पद पर भर्ती के लिए पात्र हैं या थे तथा जो पहले सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर लिये गए है, उनकी पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा तथा यदि वे पदोन्नति द्वारा चयन कर लिये जाते हैं तथा उच्चतर वरिष्ठता के लिए अधिकृत हो जाते हैं, वे पद रिक्त हो जायेंगे जिन पर वे सीधी भर्ती के कोटा में भर्ती किए गए थे।

(4) प्रत्येक पद पर पदोन्नति के लिए चयन हेतु वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर तथा/या योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर तथा अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुपात के अनुसार पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो निम्न प्रकार गठित की जाएगी :–

(क) प्रथम श्रेणी सेवा :

(1)	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	अध्यक्ष
(2)	आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सदस्य
(3)	उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग	सदस्य सचिव

(ख) द्वितीय श्रेणी सेवा :

1. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	अध्यक्ष
2. निदेशक सम्बन्धित संवर्ग	सदस्य
3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग का एक मनोनीत अधिकारी जो उप शासन सचिव या विभागाध्यक्ष से नीचे की रेंक का नही होगा।	सदस्य
4. सचिव,जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर	सदस्य सचिव

(x) तृतीय श्रेणी सेवायें ;

उपायुक्त (कार्मिक)

सदस्य सचिव

1. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष
2. निदेशक सम्बन्धित संवर्ग	सदस्य
3. शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवश्यक विभाग का एक मनोनित व्यक्ति जो उप शासन सचिव या विभागाध्यक्ष से नीचे के रैंक का न हो।	सदस्य

(5) अपेक्षित अवधि की अर्हकारी सेवा पूरी करने वाले किसी व्यक्ति के उपलब्ध न होने पर यदि कोई व्यक्ति पदोन्नति के लिए अनुसूचित मे विहित अन्य अर्हताओं एवं शर्तो को पूरी करता है तथा वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए अन्यथा उपयुक्त पाया जाता है तो पदोन्नति समिति एक वर्ष तक की छूट देते हुए उस व्यक्ति के मामले मे विचार कर सकेगी जिसकी सेवा विहित अवधि से कम है।

(6) (क) पात्रता के जोन अर्थात् पदोन्नति के लिए विचार किये जाने वाले अधिकतम पात्र व्यक्तियों की संख्या नीचे दिये गये अनुसार होगी –

1.	1 रिक्ति के लिए	5 अभ्यर्थी
2.	2 रिक्तियों के लिए	8 अभ्यर्थी
3.	3 रिक्तियों के लिए	10 अभ्यर्थी
4.	4 या अधिक रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या का तिगुना:

परन्तु यह कि केवल अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए उपरोक्त जोन की रिक्तियों को पांच गुना तक बढाया जा सकेगा यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुचित संख्या मे अभ्यर्थी उनके कोटा मे पदोन्नति के लिए उपरोक्त जोनो मे उपलब्ध नही होते हों।

(ख) यदि किसी पद के प्रवर्ग मे पदोन्नति, समान या विभिन्न वेतनमानो मे पदो के उन विभिन्न प्रवर्गो से की जानी निर्धारित की गयी है जिनके कि लिए कोई एक एकीकृत वरिष्ठता सूची नही है तो जोन वही होगा जो अनुसूची मे निर्धारित किया जाए तथा इसके अभाव मे आयुक्त द्वारा इस सम्बन्ध मे तदर्थ निर्णय लिया जाएगा।

(7) (क) पदोन्नति समिति ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामले मे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एं अन्य के मामलो मे पृथक से विचार करेगी जो पात्र एवं अर्हता प्राप्त है तथा अपने वरिष्ठता क्रम मे विचार के जोन मे आते है तथा एक सूची तैयार करेगी जिसमे इन विनियमों के "रिक्तियों का निर्धारण" से सम्बन्धित नियम के अधीन निर्धारित किए गए पदोन्नति के सिद्धान्त एवं अनुपात के अनुसार, वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर जैसी भी स्थिति हो, उपयुक्त पाए गए व्यक्तियों के नाम होंगे। सभी जातियो के चयनित अभ्यार्थियों की सूची एवं वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर तथा या योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर, जैसी भी स्थिति हो, तैयार की गयी सूचिया, उन पदो के प्रवर्गो की वरिष्ठता क्रम मे पुनः व्यवस्थित की जाएगी जिससे की चयन किया गया है।

टिप्पणी (1) रिक्तियो की विषम संख्या के संगणन के मामले मे प्रथम रिक्ति वरिष्ठता एवं योग्यता के कोटा मे, तथा द्वितीय योग्यता एवं वरिष्ठता के कोटा मे तथा आगे इसी क्रम मे नियत की जाएगी।

(2) पदोन्नति समिति अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित करेगी तथा अपने स्वविवेक पर अभ्यार्थियों का साक्षात्कार कर सकेगी।

(ख) पदोन्नति समिति, उन अस्थायी या स्थायी रिक्तियों को भरने के लिए जो बाद मे हो सकती हो अनुसूचि मे पदोन्नति के लिए निर्धारित किए गए सिद्धांत के आधार पर एक पृथक सूची भी जिसे इसमे इसके बाद पेनल कहा गया है तैयार करेगी जिसमे उपयुक्त खण्ड (क) के अधीन तैयार की गयी सूची मे चयनित व्यक्तियों की संख्या के आधे तक अतिरिक्त व्यक्तियों के नाम होंगे (जिनमे भिन्नांश को पूर्ण मे बदल दिया जाएगा) या यदि रिक्तियो की संख्या केवल एक ही हो तो एक व्यक्ति का चयन करेगी इस प्रकार तैयार किए गए पैनल को उन पदो के प्रवर्ग पर वरिष्ठता क्रम मे व्यवस्थित किया जायेगा जिनसे कि चयन किया गया है ऐसा पेनल उस पदोन्नति समिति द्वारा संवीक्षित एवं संशोधित किया जाएगा जिसकी परवर्ती वर्ष मे बैठक होती हो। ऐसा पेनल अगली पदोन्नति समिति की बैठक होने तक प्रभावशील रहेगा।

स्पष्टीकरण : योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए चयन करने के प्रयोजनार्थ केवल उन्ही कर्मचारियों को चयनित किया जाएगा जिनके कि अभिलेख को पदोन्नति समिति द्वारा ''उत्कृष्ट'' या बहुत अच्छा अभिनिर्धारित किया गया हो लेकिन चयन होने के बाद उनके नाम निम्न पद के वरिष्ठता क्रम मे व्यवस्थित किये जायेंगे।

(8) यदि किसी परिवर्ती वर्ष मे किसी पूर्व वर्ष की किन्तु इन विनियमों के प्रभावशील होने के बाद की ऐसी रिक्तियां, रिक्तियों का निर्धारण से संबंधित नियम 13 के उप नियम (2) के अधीन भूतलक्षी प्रभाव से निर्धारित की जाती है जो पदोन्नति समिति द्वारा भरी जाने के लिए अपेक्षित थी, तो समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी जो उस वर्ष मे पात्र होते जिससे कि रिक्तियां संबंधित है, चाहे पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने का वर्ष कुछ भी हो। इन पदोन्नतियो पर विचार, पदोन्नति के उन सिद्धान्तो एवं शर्तो जो उस वर्ष विशेष मे प्रयोज्य थी जिससे कि वे रिक्तिया संबंधित है, तथा उस वर्ष मे मूल पद धारक के द्वारा की गयी अर्हकारी सेवा के अनुसार किया जाएगा। उच्चतर पद पर पदोन्नति होने पर किसी ऐसी अवधि के लिए जिससे किसी कर्मचारी ने उस पद के कर्तव्यो को वास्तविक रूप से निष्पादित नही किया है जिस पर कि वह इस प्रकार पदोन्नत कर दिये जाने पर करता तो उसका वेतन, ऐसी वेतन दर पर प्रकल्पित रूप से पुनः स्थिर किया जाएगा जिस पर वह ऐसी पदोन्नति होने पर आहत करता, लेकिन उस अवधि के लिए जिसमे वस्तुतः उसने कोई कार्य नही किया हो, वेतन की कोई बकाया स्वीकार्य नही होगी।

(9) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियां पूवोक्त उप नियम के अधीन अन्तिम रूप से अनुमोदित की गयी सूचियों मे शामिल किए गए व्यक्तियों मे से उसी क्रम मे की जाएगी जिस क्रम मे उनके नाम उन सूचियो मे रखे गये है, तथा पेनल के मामले मे उस समय तक की जाएगी जब तक कि ये सूचियां समाप्त या पुनर्विलोकित, या संशोधित जैसी भी स्थिति हो, न हो जाए : परन्तु यह कि पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गयी सूची मे अभ्यर्थी का नाम शामिल करने मात्र से उसे पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नही होगा।

(10) आयुक्त पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिए विचार करने मे अपनाये जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों को निर्धारित कर सकेगा।

23. जो व्यक्ति निलंबित हो या जिनके विरूद्ध अपराधिक या विभागीय जांच कार्यवाई प्रारम्भ की जाती है/कर दी गयी है या ऐसे समय अपेक्षित की गयी है जब किसी ऐसे पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जिस पर कि वे पात्र है या इस प्रकार निलंबित या जांच कार्यवाही आदि के न होने पर पात्र होते, तो उन व्यक्तियों के मामलों को न्यायोचित तरीके से संव्यक्हत किया जाएगा। साधारणतया, जो कर्मचारी निलंबित है तथा जिनके विरूद्ध नैतिक पतन वाले किसी अपराधिक आरोप के लिए जांच कार्यवाही या कोई प्रमुख शास्ति आरोपित करने के लिए कोई विभागीय जांच अपेक्षित की गयी है तो उनके मामलो पर इन आरोपो को ध्यान मे नही रख कर तथा अवशिष्ट अभिलेख के आधार पर विचार किया जायगा तथा यदि उन्हे अन्यथा प्रकार से उपयुक्त न पाया जाए तो उस सम्बन्ध का एक निष्कर्ष दिया जायेगा लेकिन प्रथम प्रकार के मामले मे यदि उन्हे पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो पदोन्नति समिति की अभिशंषाओं को एक मुहरबन्द लिफाफे मे रखा जाएगा तथा उनके पुनः बहाल होने पर या ऐसी जांच कार्रवाई के समाप्त होने पर न्यायालय या दण्ड प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा किए गए निर्णय को ध्यान मे रखते हुए, समिति द्वारा उनके मामलो पर पुनर्विलोकन किया जायेगा। यदि उन्हे दोष मुक्त कर दिया जाता है या ऐसे पुनर्विलोकन के बाद यदि वे उपयुक्त पाए जाते है तो सभी प्रयोजनो के लिए भूतलक्षी प्रभाव से उन्हे पदोन्नत किया जाएगा। लघु शास्ति के लिए विभागीय जांच के मामलो मे यदि कर्मचारी को अन्यथा प्रकार से उपयुक्त पाया जाए तो उसे अस्थायी रूप से पदोन्नत किया जायेगा, लेकिन विभागीय जांच समाप्त होने पर उसके मामले को पुनर्विलोकन कर अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जाएगा। विशिष्ट मामलो मे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किन्ही ऐसे कारणो से जिन्हे लिखित मे लेखबद्ध किया जाएगा, तथा प्राधिकरण के अगले उच्चतर अधिकारी को अनुमति से काई तदर्थ निर्णय लिया जा सकेगा।

किसी भी अपराधिक मामले को उस समय प्रारम्भ किया हुआ समझा जाएगा जब न्यायालय मे कोई चालान पेश कर दिया गया हो तथा विभागीय जांच उस समय प्रारम्भ की हुई समझी जाएगी जब कर्मचारी को आरोप पत्र देने का निर्णय कर लिया गया हो।

24. **पदोन्नतियां छोडने वाले व्यक्तियों के मामलों पर विचार का प्रतिबन्ध** :– यदि कोई व्यक्ति किसी अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति द्वारा अपनी नियुक्ति पर या आवश्यक अस्थायी नियुक्ति पर ऐसी नियुक्ति को छोड़ता है तो उसके सम्बन्ध में आवश्यक अस्थायी नियुक्ति या नियमित आधार पर दोनों तरह पदोन्नति द्वारा नियुक्त के लिए पुनः विचार एक वर्ष के बाद ही, पदोन्नति समिति की सिफारिश पर किया जाएगा।

भाग – VI

आवश्यक अस्थायी नियुक्तियां, परिवीक्षा एवं स्थायीकरण इत्यादि

25. **आवश्यक अस्थायी नियुक्ति** :– (1) कोई भी रिक्त पद, जिसे तुरन्त भरा जाना अपेक्षित हैं, लेकिन यदि इसे इन विनियमों के अधीन यथा विहित या तो सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तत्काल नहीं भरा जा सकता हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो अस्थायी नियुक्तियां करने के लिए सशक्त हो, जैसी भी स्थिति हो: उस पर किसी ऐसे अधिकारी को स्थानापन्न रूप में नियुक्त कर भरा जा सकेगा जो पदोन्नति द्वारा उस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हो। ऐसे मामलों में जिनमें या तो पदोन्नति द्वारा भर्ती विहित नहीं की गयी हो या जब ऐसी स्थानापन्न व्यवस्था सम्भव नहीं हो या अन्यथा प्रकार से उचित नहीं समझी गयी हो, तो रिक्त को जहां इन विनियमों के लिए उपबन्धों के अधीन ऐसी सीधी भर्ती का उपबन्ध किया गया हो, एक अल्पावधि विज्ञापन के द्वारा या रोजगार कार्यालय के मार्फत अभ्यर्थियों को बुलाकर उस पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र किसी व्यक्ति की अस्थायी रूप से नियुक्ति कर भरा जा सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसी नियुक्ति छः माह की अवधि के बाद चालू नहीं रहेगी। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से, छह माह के बाद ऐसी नियुक्ति को जारी रखना आवश्यक हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी अपने अगले उच्चतर अधिकारी की अनुमति प्राप्त करे तथा यदि वह आयुक्त हो तो कार्यकारिणी की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

(2) यदि इन विनियमों में निर्धारित किए गए अनुसार पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी से अगला उच्चतर अधिकारी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिए पात्रता की अपेक्षित शर्तों के होते हुए भी वेतन एवं भते के सम्बन्ध में ऐसी शर्तें एवं प्रतिबन्धों के साथ जैसा वह सामन्यतः निर्देश दे, आवश्यक अस्थायी आधार पर रिक्तियों को भरने की अनुमति इस शर्त के अध्यधीन देगा कि उच्चतर पद पर वेतन का स्थिरीकरण पदोन्नति होने के रूप में न किया जा कर स्थानान्तरण होने के रूप में उस समय तक के लिए किया जायेगा जब तक कि उन्हें अपेक्षित अर्हकारी सेवा, अनुभव एवं अर्हता प्राप्त नहीं हो जाती है।

26. **परिवीक्षा की अवधि** :– (1) सीधी भर्ती द्वारा किसी पद या पदों के प्रवर्ग पर नियुक्त किये गए सभी व्यक्तियों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गए व्यक्ति एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होगें :–

परन्तु यह कि (1) उनमें से जिन्होनें संस्थायी रिक्ति पर पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा अपनी नियुक्ति के पूर्व उस पद पर अस्थायी रूप से स्थानापन्न कार्य किया हो तथा बाद में उस पद पर उनका नियमित चयन हो गया हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी स्थानापन्न या अस्थायी सेवा को परिवीक्षा की अवधि में गिने जाने की अनुज्ञा दी जा सकेगी। तथापि, इससे किसी वरिष्ठ व्यक्ति का अतिष्ठन नहीं होगा या सम्बन्धित कोटा या भर्ती में आरक्षण में उनकी अधिमानता क्रम में कोई बाधा नहीं होगी।

(2) उप नियम् (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की अवधि के दौरान, प्रत्येक प्रोबेशनर को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जाना होगा जिसे नियुक्ति प्राधिकारी समय समय पर, विनिर्दिष्ट करें।

टिप्पणी :– किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो मर जाता है या अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत होने वाला है, परिवीक्षा की अवधि को इस तरह से कम कर दिया जाएगा कि वह उसकी मृत्यु या सेवा से निवृति के दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को एक दिन पहले समाप्त हो जाए।

27. परिवीक्षा काल में असन्तोषजनक प्रगति :– (1) यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत हो, कि किसी प्रोबेशनर ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या यह कि वह नियुक्ति प्राधिकारी को सन्तोष प्रदान करने में असफल रहा है, तो वह उसे उस पद पर प्रत्यावर्तित कर सकेगा जो कि उसके द्वारा अपनी नियुक्ति के ठीक पूर्व धारण किया गया था, बशर्ते कि वह उस पद पर अपना धारणाधिकारी (लियन) रखता हो या अन्य मामले में उसे सेवा मुक्त (डिस्चार्ज) कर सकेगा या उसकी सेवा समाप्त (टरमीनेट) कर सकेगा :

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह किसी मामले में या मामलों की श्रेणी में ऐसा उचित समझे तो, किसी कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि को एक विनिर्दिष्ट अवधि तक बढा सकेगा जो साधारणतया ऐसे पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गए व्यक्ति के मामले में एक वर्ष तथा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के मामलें में दो वर्षों से अधिक की नहीं होगी :

परन्तु यह और है कि नियक्ति प्राधिकारी, यदि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में ऐसा उचित समझे तो, परिवीक्षा की अवधि को ऐसी और अवधि के लिए बढा सकेगा जो एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर प्रत्यावर्तित किया गया या सेवा से मुक्त (डिस्चार्ज) किया गया व्यक्ति किसी क्षतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा।

28. परिवीक्षा सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण करने की घोषणा :– (1) परिवीक्षा की विहित या घटाई गई या बढाई गयी अवधि की समाप्ति पर, जैसी भी स्थिति हो, नियुक्ति प्राधिकारी प्रोबेशनर की उस पद को धारण करते रहने की उपयुक्तता पर विचार करेगा जिस पर कि वह नियुक्त किया गया था एवं

(क) यदि वह यह विनिश्चय करे कि प्रोबेशनर जिस पद पर वह नियुक्त किया गया था, उस पद को धारण करने के लिए उपयुक्त है, तो वह, यथा शीघ्र एक आदेश जारी करेगा जिसमें यह घोषित किया जायेगा कि प्रोबेशनर ने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली हैं तथा वह आदेश परिवीक्षा की विहित, घटाई गई या बढाई गई अवधि की समाप्ति के दिनांक से प्रभावी होगा।

(ख) प्रोबेशनर को अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण किया हुआ तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि उस सम्बन्ध का एक स्पष्ट आदेश जारी न कर दिया गया हो लेकिन परिवीक्षा की अधिकतम अवधि समाप्त होने के बाद यदि छह माह की अवधि और व्यतीत हो गयी हो तो आदेश जारी करना अनिवार्य होगा। उप नियम (1) के अधीन आदेश के जारी करने में विलम्ब होने से प्रोबेशनर इसके लिए हकदार नहीं होगा कि उसे परिवीक्षा की अवधि को सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण किया हुआ मान लिया जाए तथा इसके बाद उसे वर्ष दर वर्ष अस्थायी या स्थानापन्न कर्मचारी के रूप में निरतर सेवा करता हुआ समझा जाएगा।

29. स्थायीकरण :– परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये व्यक्ति को उसके पद पर स्थायी किया जावेगा, यदि –

(क) यदि उसने इन विनियमों या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, उससे अगले उच्चतर अधिकारी, यदि कोई हो, की अनुमति से जारी किए गए आदेशों के अधीन विहित किसी प्रशिक्षण सहित परिवीक्षा की अवधि को सन्तोषजनक ढंग से पूरा कर लिया हो एवं

(ख) कोटा एवं उसकी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी रिक्ति उपलब्ध हो, एवं

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी इससे सन्तुष्ट हो जाता है कि उसकी सत्यनिष्ठा असंदिग्ध है तथा वह अन्यथा स्थायीकरण के लिए उचित है।

30. वरिष्ठता :– सेवा के किन्हीं संवर्गों, ग्रुपों/अनुभागों में पदों के प्रत्येक प्रवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति जैसी भी स्थिति हो नियुक्त किए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, किसी

पद के लिए विहित किसी एक तरीके द्वारा नियमित भर्ती में चयन के वर्ष के आधार पर, निर्धारित की जाएगी,

परन्तु :

(1) यह कि अधिनियम के लागू होने के पूर्व या इन विनियमों के भाग द्वितीय के अधीन प्रारम्भिक गठन की प्रक्रिया में सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की अन्तः पारस्परिक वरिष्ठता को उपयुक्त सिद्धान्त निर्धारित कर आयुक्त द्वारा तदर्थ आधार पर निर्धारित, उपान्तरित या परिवर्तित किया जाएगा। वे सब परिवर्तन दिनांक के बाद नियुक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ होगें।

(2) यह कि एक ही वर्ष में पदों के प्रवर्ग पर भर्ती के अलग तरीकों द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों की अन्तः पारस्परिक वरिष्ठता उसी अनुपात एवं चक्र क्रम या रोस्टर प्रणाली से व्यवस्थित की जाएगी जो कि नियम 13 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन अलग – अलग कोटे में रिक्तियों के आवंटन को निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है, जिसमें पदोन्नत व्यक्ति को प्रथम अग्रता तथा सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति को अन्तिम अग्रता, एवं आगे इसी प्रकार की अग्रताएं दी जाएगी।

(3) यह कि सिवाय ऐसे व्यक्तियों के जिन्हें किसी पद के लिए प्रस्ताव किया गया हो किन्तु जो आदेश जारी होने के दिनांक से छह सप्ताह के भीतर या यदि इस अवधि को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढा दिया जाता है तो उस बढी अवधि के भीतर उस पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते है, एक ही चयन के आधार पर किसी विशिष्ट प्रवर्ग में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों की अन्तः पारस्परिक वरिष्ठता उसी क्रम में रहेगी जिस क्रम में कि उनके नाम नियम 21 (3) के अधीन तैयार की गई सूची में व्यवस्थित किए गए हैं तथा उन व्यक्तियों के मामले में जिन्हें छह सप्ताह के बाद अपने पद पर कार्य भार ग्रहण करने की विशिष्ट अनुमति दी जाती है, उनकी वरिष्ठता नियुक्ति प्राधिकारी से अगले उच्चतर अधिकारी, यदि कोई हो, की अनुमति से तदर्थ रूप में विनिश्चित की जाएगी।

(4) यह कि या तो वरिष्ठता एवं योग्यता तथा योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर या दोनों के आधार पर एक ही चयन में चयनित व्यक्तियों की अन्तः पारस्परिक वरिष्ठता वहीं होगी जो कि अगली नीची ग्रेड में है।

(5) यह कि किसी चयन के परिणामस्वरूप पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति जिनका कि चयन पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण के अध्यधीन नहीं है, उन व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे जो परवर्ती चयन के परिणामस्वरूप चयनित एवं नियुक्त किए जाएगें।

(6) यदि इन विनियमों में किसी पद पर पदोन्नति पदों के अलग अलग प्रवर्गों से किया जाना, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए विहित किया गया है कि पदों की अन्तःपारस्परिक वरिष्ठता एवं उत्तरोतरता को छेडा नहीं जाएगा, जो ऐसे विभिन्न प्रवर्गों के कर्मचारियों की एकीकृत वरिष्ठता किसी प्रवर्ग में पद पर नियमित चयन या संवीक्षा के बाद उनकी नियुक्ति के दिनांक के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि इन सबकी नियुक्ति दिनांक एक ही है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तदर्थ निर्णय किया जाएगा जो अन्तिम होगा।

(7) नियम 22 के उप नियम (10) के अनुपालन में पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के भूतलक्षी प्रभाव से निर्धारण द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों की वरिष्ठता दूसरे शब्दों में विभिन्न तरीकों द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता कोटा में उनकी नियमित भर्ती के उस वर्ष के आधार पर निर्धारित की जाएगी जिससे कि रिक्तियां सम्बन्धित हैं :

परन्तु यह कि सीधी भर्ती के कोटा पर की गई नियुक्तियों को उनकी भर्ती के वास्तविक वर्ष से पहले का भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा।

31. वेतन, अवकाश, भत्ता, भविष्य निधि का नियमन :– सिवाय इसके कि इन नियमों में उपबन्धित किया गया हो, सेवा क सदस्यों का वेतन, भता, अवकाश एवं सेवा की अन्य शर्तें, इन विनियमों के लागू होने के समय पहले से प्रभावशील नियमों एवं विनियमों द्वारा तथा उन विनियमों द्वारा नियमित की जाएंगी जो प्राधिकरण द्वारा विभिन्न मामलों के सम्बन्ध में बनाये जाएंगे।

विविध

32. सन्देहों का निराकरण :– यदि इन विनियमों की प्रयोज्यता, निर्वचन एवं क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई सन्देह उत्पन्न होता हो तो आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

33. निरसन एवं व्यावृति :– अन्यथा उल्लेखित किए गए को छोड़कर, इन विनियमों के लागू होने के ठीक पूर्व प्रभावशील उन समस्त नियमों एवं आदेशों को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है जो इन विनियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों से सम्बन्धित थे :

परन्तु यह कि इस प्रकार अतिष्ठित किए गए नियमों एवं आदेशों के अधीन की गई किसी भी कार्रवाई को, इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन की हुई समझा जाएगा।

34. नियमों को शिथिल करने की शक्ति :– अपवाद स्वरूप मामलों में जिनमें आयुक्त इससे सन्तुष्ट हो कि आयु से सम्बन्धित या भर्ती के लिए अर्हकारी सेवा की अपेक्षाओं से सम्बन्धित नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है या जिनमें आयुक्त की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के सम्बन्ध में इन विनियमों के हिन्हीं उपबन्धों को शिथिल करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा, इन विनियमों के सम्बन्धित उपबंधों को ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए समाप्त या शिथिल कर सकेगा जैसा वह मामले को उचित एवं न्यायसंगत तरीके से निपटाने के लिए आवश्यक समझेगा, परन्तु शर्त यह है कि ऐसा शिथिलीकरण इन विनियमों में पहले से किए गए उपबन्धों से कम अनुकूल नहीं होगा।

35. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति :– यदि इन विनियमों के उपबन्धों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई आती हो, तो आयुक्त जैसे ही अवसर उत्पन्न हो, लेकिन इन विनियमों के प्रसारण के दिनांक से एक वर्ष बाद नहीं, आदेश द्वारा कोई भी ऐसा कार्य कर सकेगा जो इस अधिनियम के उदेश्य या इन विनियमों में दिए गए सिद्धान्तों से असंगत न हो तथा जो उसे कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

अनुसूची संख्या – I – प्रशासनिक सेवा

			न्यूनतम अर्हताएवं एवं अर्हकारी सेवा				
क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती के लिए	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति के लिए सिद्धान्त	पदोन्नति के लिए धारित किया जाने वाला निम्न अपेक्षित पद	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
			प्रथम श्रेणी सेवा				
1	संयुक्त आयुक्त (स्केल नं. 19 14300–400–18300)	100 % पदोन्नति द्वारा	–	उपायुक्त के रूप में 8 वर्ष का अनुभव	योग्यता एवं वरिष्ठता	उपायुक्त	–

टिप्पणी :– भूमि या सम्पति शाखा, कार्मिक शाखा, कच्ची बस्ती शाखा में राजस्थान राज्य सेवा के साधारण वेतनमान/वरिष्ठ वेतनमान/यचनित वेतनमान के समकक्ष वेतनमानों में (अभियान्त्रिकी एवं नगर नियोजन पदों के अतिरिक्त अन्य) सभी विध्यमान पदों का पदनाम निम्न प्रकार होगा –

(1) राज्य सेवाओं के साधारण वेतनमान के समकक्ष पद– अधिशाषी अधिकारी

(2) राज्य सेवाओं के वरिष्ठ वेतनमान के समकक्ष पद – सहायक आयुक्त

(3) राज्य सेवाओं के चयनित वेतनमान के समकक्ष पद – उपायुक्त

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	उपायुक्त	100 % पदोन्नति द्वारा	–	तहसीलदार/ सहायक आयुक्त के रूप में 5 वर्ष का अनुभव	योग्यता एवं वरिष्ठता	सहायक आयुक्त	–
3.	सहायक आयुक्त/ उप सचिव	100 % पदोन्नति द्वारा	–	अधिशाषी अधिकारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव	वरिष्ठता एवं योग्यता	अधिशाषी अधिकारी	–
				द्वितीय श्रेणी सेवा			
1.	अधिशासी अधिकारी	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	कला, वाणिज्य या विज्ञान में प्रथम श्रेणी की स्नातक डिग्री	5 वर्ष का की सेवा	योग्यता एवं वरिष्ठता	प्रवर्तन अधिकारी/. प्रशासनिक अधिकारी / अनुभाग अधिकारी / भू–अभिलेख अधिकारी	–

अनुसूची संख्या–II–लेखा सेवा

न्यूनतम अर्हताएं एवं अर्हकारी सेवा

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती के लिए	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति के लिए सिद्धान्त	पदोन्नति के लिए धारित किया जाने वाला निम्न अपेक्षित पद	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
				प्रथम श्रेणी सेवा			
1.	निदेशक वित	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	–	योग्यता एवं वरिष्ठता	वरिष्ठ लेखाधिकारी	
2.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	लेखा अधिकारी के रूप में 3 वर्ष की सेवा	योग्यता एवं वरिष्ठता	लेखा अधिकारी	–
				द्वितीय श्रेणी सेवा			
3.	लेखा अधिकारी	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	सहायक लेखा अधिकारी के रूप में 3 वर्ष की सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	सहायक लेखा अधिकारी	–

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	सहायक लेखाधिकारी	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	लेखाकार के रूप में 5 वर्ष का अनुभव	वरिष्ठता एवं योग्यता	लेखाकार	–
5.	लेखाकार	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	कनिष्ठ लेखाकार के रूप में 5 वर्ष की सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	कनिष्ठ लेखाकार	–
6.	कनिष्ठ लेखाकार	50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	द्वितीय श्रेणी में वाणिज्य विषय में स्नातकोतर डिग्री या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व–विद्यालय से वाणिज्य विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री या समकक्ष घोषित परीक्षा	कनिष्ठ सहायक/सहायक के रूप में 10 वर्ष की सेवा एवं राजस्थान सेवा नियम तथा सामान्य वितीय एवं लेखा नियमों के ज्ञान पर आधारित विभागीय परीक्षा	वरिष्ठता एवं योग्यता	सहायक कनिष्ठ सहायक	सीधी भर्ती कोटे में कनिष्ठ लेखाकार के पदों को भरने के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी।

अनुसूची संख्या–III–अभियांत्रिकी सेवा

न्यूनतम अर्हताएं एवं अर्हकारी सेवा

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती के लिए	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति के लिए सिद्धान्त	पदोन्नति के लिए धारित किया जाने वाला निम्न अपेक्षित पद	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
			प्रथम श्रेणी सेवा				
1.	मुख्य अभियन्ता	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	–	वरिष्ठता एवं योग्यता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	
2.	अति. मुख्य अभियन्ता	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	–	वरिष्ठता एवं योग्यता	अधीक्षण अभियंता	–

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	अधीक्षण अभियन्ता	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	अधिशासी अभियंता सिविल के रूप में 5 वर्ष का अनुभव तथा कुल 15 वर्ष की सेवा	योग्यता एवं वरिष्ठता	अधिशाषी अभियंता	–
4.	अधिशासी अभियंता	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	संबंधित शाखा में डिग्री या सरकार द्वारा समकक्ष घोषित की गई अर्हता के साथ सहायक अभियंता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव। यदि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा धारक हो तो सिविल सहायक अभियंता के रूप में 15 वर्ष की सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	संबंधित शाखा में सहायक अभियन्ता	–
				द्वितीय श्रेणी सेवा			
5.	सहायक अभियंता (सिविल, यांत्रिकी, विद्युत)	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	जिस शाखा मे पद स्वीकृत हैं उस शाखा के अनुसार सिविल/ यांत्रिकी/विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा या सरकार द्वारा समकक्ष घोषित की गयी अर्हताएं	डिग्री धारकों के लिए शाखा में 3 वर्ष की सेवा तथा डिप्लोमा धारकों के लिए कालम 4 के समान अर्हताओं के साथ 10 वर्ष की सेवा तथा 50 प्रतिशत डिग्रीधारी एवं 50 प्रतिशत डिप्लोमाधारी की पदोन्नति	वरिष्ठता एवं योग्यता	कनिष्ठ अभियंता या अभियांत्रिकी अधीनस्थ	–

1	2	3	4	5	6	7	8
			तृतीय श्रेणी सेवा				
6(क)	कनिष्ठ अभियंता (डिग्रीधारी)	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष	जिस शाखा में पद स्वीकृत है उस शाखा के अनुसार सिविल/यांत्रिकी/विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या सरकार द्वारा समकक्ष घोषित की गई अर्हताएं	–	–	–	–
6(ख)	कनिष्ठ अभियंता (डिप्लोमाधारी)	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष	जिस शाखा में पद स्वीकृत है उस शाखा के अनुसार सिविल/यांत्रिकी/विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री या सरकार द्वारा समकक्ष घोषित की गई अर्हताएं	–	–	–	–

परन्तुक :– कनिष्ठ अभियन्ताओं के कुल रिक्त पदों में कनिष्ठ अभियन्ता डिग्रीधारी योग्यता हेतु 60 प्रतिशत पद तथा कनिष्ठ अभियन्ता डिप्लोमाधारी योग्यता हेतु 40 प्रतिशत आरक्षित होंगे।

7.	सुपरवाईजर विद्युत	100 प्रतिशत पदोन्नति	–	(क)मैट्रिकुलेट/सैकण्डरी और इलेक्ट्रीशियन/वायरमैन ग्रेड–प्रथम के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव (ख) नान मैट्रिकुलेट परन्तु पढा लिखा होना और इलेक्ट्रशियन/वायरमैन ग्रेड प्रथम के रूप में 10 वर्षों का अनुभव	योग्यता एवं वरिष्ठता	इलेक्ट्री–शियन/वायरमैन ग्रेड प्रथम	–

1	2	3	4	5	6	7	8
7. (क)	सुपरवाईजर (सिविल)	100 प्रतिशत पदोन्नति	–	मिस्त्री सिविल, ग्रेड–प्रथम के रूप में 5 वर्षों का अनुभव	योग्यता एवं वरिष्ठता	मिस्त्री ग्रेड प्रथम	–
7 (ख)	सुपरवाईजर (पीएचई)	100 प्रतिशत पदोन्नति	–	फिटर/पम्प चालक ग्रेड प्रथम के रूप में 5 वर्ष का अनुभव	योग्यता एवं वरिष्ठता	मिस्त्री ग्रेड प्रथम	–
8.	इलेक्ट्रीशियन/ वायरमैन ग्रेड प्रथम	100 प्रतिशत पदोन्नति	–	विद्युत कार्य का परमिट/ बिजली कार्य करने का लाईसेंस, इलेक्ट्रीशियन/ वायरमैन ग्रेड द्वितीय के रूप में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव	योग्यता एवं वरिष्ठता	इलेक्ट्रीशियन (वायरमैन) ग्रेड द्वितीय	–
8(क)	मिस्त्री ग्रेड प्रथम	100 प्रतिशत पदोन्नति	–	मिस्त्री ग्रेड द्वितीय के रूप में 5 वर्ष का अनुभव	योग्यता एवं वरिष्ठता	मिस्त्री ग्रेड द्वितीय	–
8(ख)	फिटर ग्रेड प्रथम	100 प्रतिशत पदोन्नति	–	फिटर ग्रेड द्वितीय के रूप में 5 वर्ष का अनुभव	योग्यता एवं वरिष्ठता	फिटर ग्रेड द्वितीय	–
8(ग)	पम्प चालक ग्रेड प्रथम	100 प्रतिशत पदोन्नति	–	पम्प चालक ग्रेड द्वितीय के रूप में 5 वर्ष का अनुभव	योग्यता एवं वरिष्ठता	पम्प चालक ग्रेड द्वितीय	–
8(घ)	कारपेंटर ग्रेड प्रथम	100 प्रतिशत पदोन्नति	–	कारपेंटर ग्रेड द्वितीय के रूप में 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव	योग्यता एवं वरिष्ठता	कारपेंटर ग्रेड द्वितीय	–

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	इलेक्ट्रीशियन/ वायरमैन ग्रेड द्वितीय	100 प्रतिशत पदोन्नति	–	विद्युत कार्य का परमिट लाईसेंस सहित इलेक्टीशियन/ वायरमैन हैल्पर के रूप में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव	योग्यता एवं वरिष्ठता	इलेक्ट्रीशियन वायरमैन हैल्पर	–
9क	मिस्त्री ग्रेड द्वितीय	100 प्रतिशत पदोन्नति	–	अभियांत्रिकी हैल्पर/ कारीगर हैल्पर/ जमादार (मैट) के रूप में 6 वर्ष का अनुभव	योग्यता एवं वरिष्ठता	अभियांत्रिकी हैल्पर/ कारीगर हैल्पर/ जमादार (मैट)	–
9ख	फिटर ग्रेड द्वितीय	100 प्रतिशत पदोन्नति	–	फिटर हैल्पर के रूप में 5 वर्ष का अनुभव	योग्यता एवं वरिष्ठता	फिटर हैल्पर	–
9ग	पम्प चालक ग्रेड द्वितीय	100 प्रतिशत पदोन्नति	–	मिडिल योग्यताधारी पम्प चालक हैल्पर के रूप में 5 वर्ष सेवा अनुभव अथवा साक्षर पम्प चालक हैल्पर के रूप में 7 वर्ष का अनुभव	योग्यता एवं वरिष्ठता	पम्प चालक हैल्पर	–
9घ	कारपेंटर ग्रेड द्वितीय	100 प्रतिशत पदोन्नति	–	कारपेंटर हैल्पर के रूप में 5 वर्ष का अनुभव	योग्यता एवं वरिष्ठता	कारपेंटर हैलपर	–

अनुसूची संख्या – IV – नगर नियोजन सेवा

न्यूनतम अर्हताएवं एवं अर्हकारी सेवा

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती के लिए	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति के लिए सिद्धान्त	पदोन्नति के लिए धारित किया जाने वाला निम्न अपेक्षित पद	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
			प्रथम श्रेणी सेवा				
1.	वरिष्ठ नगर नियोजक	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	उप नगर नियोजक के रूप में 5 वर्ष की सेवा	योग्यता एवं वरिष्ठता	उप नगर नियोजक	–
2.	उप नगर नियोजक	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	सहायक नगर नियोजक के रूप में 5 वर्ष की सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	सहायक नगर नियोजक	–
			द्वितीय श्रेणी सेवा				
3.	(क). सहायक नगर नियोजक	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	1. वास्तु कला में डिग्री 2. मान्यता प्राप्त भारतीय या फोरेन संस्था से टाउन प्लानिंग/ सिटी प्लानिंग/ रीजनल प्लानिंग में डिग्री या डिप्लोमा या 3. इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर (इंडिया) का एसोसिएट	नगर नियोजक सहायक के रूप में 5 वर्ष की सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	नगर नियोजक सहायक	–
	(ख) सहायक नगर नियोजक (लैंड स्क्रेप)	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	द्वितीय श्रेणी सेवा वास्तु कला में डिग्री (5 वर्ष का पाठ्यक्रम या समकक्ष) तथा मान्यता प्राप्त संस्था से लैण्ड				

1	2	3	4	5	6	7	8
			स्क्रेप वास्तुकला (या समकक्ष में) स्नातकोतर डिग्री/डिप्लोमा				
	(ग) सहायक नगर नियोजक (यातायात)	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	वास्तुकला में डिग्री (5 वर्ष का पाठ्यक्रम या समकक्ष, या सिविल इंजिनियरिंग्स में डिग्री) (5 वर्ष का एकीकृत पाठ्यक्रम) एवं टाउन/ सिटी/ रीजनल प्लानिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोतर डिग्री/डिप्लोमा या यातायात एवं परिवहन में विशष्टीकरण				
			तृतीय श्रेणी सेवा				
4.	नगर नियोजन सहायक	50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं पदोन्नति	1. वास्तुकला में इन्टर– मिडिएट या आर्किटेक्चरल एसिस्टेन्टशिप (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा तथा नगर नियोजन/ वास्तुविद् के कार्यालय में ड्रॉफ्टसमैन के रूप में दो वर्ष का अनुभव या	वरिष्ठ ड्रॉफ्टसमैन के रूप में 5 वर्ष की सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	वरिष्ठ ड्राफ्टमैन	–

1	2	3	4	5	6	7	8
			2. सिविल ड्रॉफ्टसमैनशिप में पोलीटेकनिक डिप्लोमा तथा नगर नियोजन/ वास्तुविद् के कार्यालय में ड्रॉफ्टसमैन के रूप में तीन वर्ष का अनुभव या 3. नेशनल कौंसिल ऑफ ट्रेड से ड्रॉफ्टसमैन प्रमाण – पत्र, (सिविल) तथा नगर नियोजन/ वास्तुविद् के कार्यालय में ड्रॉफ्टसमैन के रूप में 5 वर्ष का अनुभव				
5.	वरिष्ठ ड्रॉफ्टसमैन	25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा एवं 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	1. वास्तुकला में इन्टरमीडिएट या आर्किटेक्चरल एसिस्टेन्टशिप (त्रि वर्षीय पाठ्यक्रम) में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा या 2. सिविल ड्रॉफ्टसमैनशिप में पोलीटेकनिक डिप्लोमा तथा नगर नियोजन/ वास्तुविद् के कार्यालय में ड्रॉफ्टसमैन के	कनिष्ठ ड्रॉफ्टसमैन के रूप में 4 वर्ष का अनुभव	वरिष्ठता एवं योग्यता	कनिष्ठ ड्रॉफ्टसमैन	–

1	2	3	4	5	6	7	8
			रूप में एक वर्ष का अनुभव या 3. नेशनल कौंसिल ऑफ वाकेशनल ट्रेड से ड्रॉफ्टसमैन प्रमाण पत्र सिविल तथा नगर नियोजन/ वास्तुविद के कार्यालय में ड्रॉफ्टसमैन के रूप में तीन वर्ष का अनुभव				
6.	कनिष्ठ ड्रॉफ्टसमैन	50 प्रतिशत सीधी द्वारा एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	1. सिविल ड्रॉफ्टसमैन शिप में पोलीटेकनिक डिप्लोमा या 2. नेशनल कौंसिल ऑफ वाकेशनल ट्रेड से. ड्रॉफ्टसमैन प्रमाण पत्र, (सिविल) तथा नगर नियोजन/ वास्तुविद के कार्यालय में ट्रेसर के रूप में दो वर्ष का अनुभव	सैकेण्डरी परीक्षा उतीर्ण तथा ट्रेसर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव रखता हो	वरिष्ठता एवं योग्यता	ट्रेसर	
7.	ट्रेसर	75 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 25 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	1. नेशनल कौंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेड से ड्रॉफ्टसमैन प्रमाण पत्र (सिविल)	ड्राइंग विषय के साथ सैकेण्डरी परीक्षा उतीर्ण तथा फैरोमैन के रूप में तीन वर्ष का अनुभव	वरिष्ठता एवं योग्यता	फैरामैन	–
8.	अन्वेषक ग्रेड प्रथम	50 प्रतिशत सीधी भर्ती	1. सांख्यिकी में स्नातकोतर डिग्री	अन्वेषक ग्रेड द्वितीय के रूप	वरिष्ठता एवं	अन्वेषक ग्रेड	

1	2	3	4	5	6	7	8
		द्वारा एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	या 2. सांख्यिकी के साथ अर्थशास्त्र में स्नातकोतर डिग्री या 3. समाजशास्त्र, भूगोल में स्नातकोतर डिग्री	में 3 वर्ष का अनुभव	योग्यता	द्वितीय	
9.	अन्वेषक ग्रेड द्वितीय	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	सांख्यिकी या गणित या समाजशास्त्री या भूगोल विषय के साथ कला संकाय में डिग्री या अर्थशास्त्र विषय के साथ वाणिज्य संकाय में डिग्री				
10.	मोडलर (वेतनमान संख्या 9)	100 प्रतिशत सीधी भर्ती	वही जो कनिष्ठ ड्रॉफ्टमैन की है तथा किसी आर्किटेक्ट या नगर नियोजन कार्यालय में मोडल आदि तैयार करने का अनुभव				
11.	सर्वेयर (वेतनमान संख्या 9)	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	नेशनल कौसिंल ऑफ वोकेशनल ट्रेड से सर्वेक्षण में प्रमाण पत्र				

परन्तुक :– आवश्यक परिस्थितियों में सहायक नगर नियोजक के स्थान पर सहायक अभियन्ता उप नगर नियोजक के स्थान पर अधिशाषी अभियन्ता तथा निदेशक आयोजना के स्थान पर निदेशक अभियांत्रिकी कार्य कर सकेंगे।

अनुसूची संख्या – V – विधिक सेवा

न्यूनतम अर्हताएं एवं अर्हकारी सेवा

क्र.सं.	पद का नाम	भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती के लिए	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति के लिए सिद्धान्त	पदोन्नति के लिए धारित किया जाने वाला निम्न अपेक्षित पद	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
			प्रथम श्रेणी सेवा				
1	उप निदेशक (विधि)	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	सहायक विधि अधिकारी के रूप में 5 वर्षों का अनुभव	योग्यता एवं वरिष्ठता	सहायक विधि अधिकारी	–
			द्वितीय श्रेणी सेवा				
2.	सहायक विधि अधिकारी (वेतनमान संख्या 20)	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	विधि स्नातक तथा विधिक सहायक के रूप में 7 वर्ष का अनुभव	योग्यता एवं वरिष्ठता	विधि सहायक	–
			तृतीय श्रेणी सेवा				
3.	विधि सहायक (वेतनमान सं. 17)	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	विधि में स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हताएं	विधि में डिग्री तथा वरिष्ठ सहायक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव	वरिष्ठता एवं योग्यता	वरिष्ठ सहायक	–
4.	मुन्सरिम (वेतनमान सं. 13)	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	रीडर (न्यायाधिकरण के रूप में 5 वर्ष का अनुभव)	वरिष्ठता एवं योग्यता	रीडर न्यायाधिकरण	–
5.	रीडर (न्यायाधिकरण) (वेतनमान सं. 11)	–	–	–	–	–	इस पद को लिपिक वर्गीय संवर्ग में वरिष्ठ सहायक के पद में अन्तः–

1	2	3	4	5	6	7	8
							परिवर्तित किया जा सकेगा।
	अधिसूचना संख्या एफ.6 (1) जविप्रा/संस्था/90, दिनांक 07.02.2001 द्वारा समावेश/प्रतिस्थापन किया गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 6 (ख), दिनांक 12.02.2001 में प्रकाशित।						
6.	रीडर (मुख्य न्यायिक दण्डनायक न्यायालय) (वेतनमान संख्या 9)						इस पद को लिपिक वर्गीय संवर्ग में वरिष्ठ सहायक के पद में अन्तः– परिवर्तित किया जा सकेगा।

अनुसूची संख्या – VI – वन एवं उद्यान सेवा

न्यूनतम अर्हताएं एवं अर्हकारी सेवा							
क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती के लिए	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति के लिए सिद्धान्त	पदोन्नति के लिए धारित किया जाने वाला निम्न	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
	क – उद्यान सेवा					द्वितीय श्रेणी सेवा	
1	उद्यान विशेषज्ञ	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	कॉलम 6 में वर्णित पद पर 7 वर्ष की सेवा	योग्यता एवं वरिष्ठता	उद्यान अधीक्षक	–
2.	उद्यान अधीक्षक	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा एवं 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	उद्यान विज्ञान के साथ विज्ञान स्नातक (कृषि)	कॉलम 6 में वर्णित पद पर 10 वर्ष की सेवा, यदि वह हाई स्कूल परीक्षा उतीर्ण हो या 3 वर्ष की सेवा यदि वह विज्ञान स्नातक (कृषि) हो	वरिष्ठता एवं योग्यता	निरीक्षक	–

1	2	3	4	5	6	7	8
				तृतीय श्रेणी सेवा			
3.	निरीक्षक	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	कॉलम 6 में वर्णित पद पर 5 वर्ष की सेवा या विज्ञान स्नातक (कृषि) के साथ 3 वर्ष की सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	सहायक निरीक्षक	–
4.	सहायक निरीक्षक	75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा एवं 25 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	उद्यान विज्ञान के साथ हायर सैकेण्डरी परीक्षा उतीर्ण या समकक्ष	(क) मैट्रिक तथा किसी सार्वजनिक उद्यान में या किसी सुप्रतिष्ठित फर्म या संस्था द्वारा लगाये गये उद्यान में मुख्य गार्डनर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव या (ख) मिडिल पास तथा किसी सार्वजनिक उद्यान में या किसी सुप्रतिष्ठित फर्म या संस्था द्वारा लगाये गये उद्यान में मुख्य गार्डनर के रूप में 10 वर्ष का अनुभव या (ग) हिन्दी पढा लिखा साक्षर तथा किसी सार्वजनिक अद्यान में या किसी सुप्रतिष्ठित	वरिष्ठता एवं योग्यता	मुख्य गार्डनर	–

1	2	3	4	5	6	7	8
				फर्म या संस्था द्वारा लगाये गये उद्यान में हैड गार्डनर के रूप में 15 वर्ष का अनुभव			
5.	मुख्य गार्डनर	100 प्रतिशत पदोन्नति	–	1. हिन्दी पढना व लिखना अंग्रेजी की गिनती और मैट्रिक मापों की गणना का ज्ञान 2. सामान्य पौधों एवं बीजों की पहचान का ज्ञान 3. पौधों के लिए खुदाई, बीजारोपाण, देखभाल व हेज व पौधों की कटाई–छंटाई आदि कार्य का ज्ञान 4. पौधों की रक्षा के लिए रसायनों व कीटाणुओं से उनकी रक्षा करने के उपयोग का प्रारंभिक ज्ञान 5. माली के रूप में 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	माली	1. निरीक्षक उद्यान या अन्य व्यक्ति जिसके मार्गदर्शन के अधीन वह कार्य कर रहा है, को रिपोर्ट करना 2. माली के समस्त कार्य 3. झाड़ियों एवं हेज की विभिन्न आकार में कटाई तथा उन्हें साफ करना 4. उद्यानों का पूर्ण रखरखाव, दूब, झाडियों, गुलाब की क्यारियों, फूलों व सब्जियों की क्यारियां इत्यादि 5. पौधों की रक्षा के लिये

1	2	3	4	5	6	7	8
							रसायनों का उपयोग 6. मालियों पर नियंत्रण (30.10.1992 से प्रभावी)
6.	खाली	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	आठवीं कक्षा उतीर्ण	1. उद्यान कार्य प्रारंभिक जानकारी, कृषि संबंधी ज्ञान सहित तथा उद्यान कार्यो का ज्ञान भी आवश्यक है। 2.हिन्दी पढने व लिखने का ज्ञान 3. खुदाई व खाई खुदाई एवं क्यारियों को तैयार करना 4. आयु 20 से 30 वर्ष			1. मुख्य गार्डनर/ अन्य व्यक्ति जिसके मार्गदर्शन के अधीन वह कार्य कर रहा हैं, को रिपोर्ट करना। 2. उद्यान संबंधी समस्त कार्य जिसमें उद्यान के स्थायी कार्यों का रखरखाव जैसे दूब झाडियां, हेज एवं वृक्ष तथा पते पतियों को हटाना व साफ करना।

अधिसूचना संख्या एफ 4 (2) जविप्रा/संस्था/95, दिनांक 26.09.2002 द्वारा जोड़ी गयी, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग–6 (ख) दिनांक 22.11.2002 में प्रकाशित

ख – वन सेवा

द्वितीय श्रेणी सेवा

1.	सहायक वन संरक्षक	100 प्रतिशत पदोन्नति	–	रेंजर के रूप में 5 वर्ष की सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	रेंजर	–

तृतीय श्रेणी सेवा

2.	रेंजर (वेतनमान संख्या 12)	50 प्रतिशत पदोन्नति एवं 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	विज्ञान स्नातक	उप रेंजर के रूप में 5 वर्ष का सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	उप रेंजर	–

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	उप रेंजर (वेतनमान संख्या 8)	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	वनपाल (फोरेस्टर) के रूप में 5 वर्ष की सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	वनपाल (फोरेस्टर)	–
4.	वनपाल (फोरेस्टर) (वेतनमान संख्या 7)	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	हायर सेकेण्डरी	सहायक वनपाल के रूप में 3 वर्ष की सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	सहायक वनपाल	–

अनुसूची संख्या – VII – प्रवर्तन एवं सतर्कता सेवा

न्यूनतम अर्हताएं एवं अर्हकारी सेवा

क्र.सं.	पद का नाम	भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती के लिए	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति के लिए सिद्धान्त	पदोन्नति के लिए धारित किया जाने वाला निम्न अपेक्षित पद	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
			[द्वितीय श्रेणी सेवा				
1	2 उपनिदेशक (प्रवर्तन)	100 प्रतिशत राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति द्वारा	–	–	–	–	–
			तृतीय श्रेणी सेवा				
2.	प्रवर्तन अधिकारी	60 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा एवं 40 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा	–	प्रवर्तन निरीक्षक के पद पर 5 वर्ष का अनुभव	–	प्रवर्तन निरीक्षक	–
3.	प्रवर्तन निरीक्षक	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	क्षेत्र सहायक/ सहायक निरीक्षक का 5 वर्ष का अनुभव	वरिष्ठता एवं योग्यता	क्षेत्र सहायक/ सहायक निरीक्षक	–

1	2	3	4	5	6	7	8
3क	क्षेत्र सहायक	लिपिक वर्गीय संवर्ग में से चयन के आधार पर विकल्प लेकर भरा जावेगा व उक्त चयन अपरिवर्तनीय होगा।	–	–	–	–	सी.सै. उतीर्ण कनिष्ठ सहायक का 10 वर्ष का अनुभव अथवा सहायक/ वरिष्ठ सहायक
4.	सहायक निरीक्षक	इस पद पर कोई नई भर्ती नहीं की जायेगी।					

नोट :– यह प्रतिस्थापन दिनांक 01–03–87 से प्रभावी होगा। (2) प्रवर्तन शाखा में कार्यरत प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रवर्तन शाखा में यह पद प्रतिनियुक्ति से भरे जा सकेगें।

अनुसूची संख्या – VIII – सामान्य सेवायें

न्यूनतम अर्हता एवं एवं अर्हकारी सेवा

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती के लिए	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति के लिए सिद्धान्त	पदोन्नति के लिए धारित किया जाने वाला निम्न अपेक्षित पद	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
			तृतीय श्रेणी सेवा				
लिपिक वर्गीय संवर्ग							
1(क)	प्रशासिनक अधिकारी (6500–10500)	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	कार्यालय अधीक्षक के रूप में 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	कार्यालय अधीक्षक	–
1.(ख)	पुर्नवास अधिकारी वेतन श्रंखला 9300–34800 पी.वी. 3600	लिपिक वर्गीय संवर्ग में से चयन के आधार पर विकल्प लेकर भरा जायेगा।	–	योग्यता के आधार पर	क. सहायक/ सहायक के रूप में 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा		

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	कार्यालय अधीक्षक (5500–9000)	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	व. सहायक / सांख्यिकी सहायक रूप में 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	व. सहायक / सांख्यिकी सहायक	–
3.	(क) व. सहायक (5000–8000)	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	सहायक के रूप में 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा के रूप में 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	सहायक भण्डारी / पुस्तकालाध्यक्ष अवधाता	–
	(ख) सांख्यिकी सहायक (5000–8000)	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा / यदि कोई भी अर्हता प्राप्त न हो तो सीधी भर्ती द्वारा	सांख्यिकी में द्वितीय श्रेणी में स्नाकोत्तर डिग्री या समकक्ष	सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक डिग्री तथा सहायक / क. सहायक	वरिष्ठता एवं योग्यता	सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक, व. सहायक को स्थानान्तरण करके भी भरा जा सकता हैं।	–
4.	(क) सहायक / भण्डारी / अवधाता (4000–6000)	पदोन्नति द्वारा	–	स्नातक के लिए क. सहायक के रूप में 4 वर्ष की अर्हकारी सेवा एवं हायर सेकेण्डरी उर्त्तीण अभ्यर्थी के लिए 7 वर्ष की सेवा, 21 / 3 / 1985 से पूर्व नियुक्त सैकेण्डरी अथवा समकक्ष उतीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 8 वर्ष की सेवा (21 / 3 / 85 से प्रभावी) टेलीफोन	वरिष्ठता एवं योग्यता	सहायक / टेलीफोन ऑपरेटर	–

1	2	3	4	5	6	7	8
				ऑपरेटर के रूप में 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा			
	(ख) पुस्तकालयाध्यक्ष (4000–6000)	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	स्नातक तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री/ डिप्लोमा				
5.	कनिष्ठ सहायक / टेलीफोन ऑपरेटर (3050–4590)	85 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 15 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से हायर सेकण्डरी या समकक्ष सीनियर सेकण्डरी उतीर्ण 2. टंकण गति अंग्रेजी में 25 प्रतिमिनट की दर से तथा हिन्दी से 20 शब्द प्रति मिन की दर से	1. च.श्रे.क. हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था द्वारा सैकण्ड्री या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता एवं 5 वर्ष का अनुभव अथवा उक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ 5 वर्ष का अनुभव नहीं होने पर टंकण गति कॉलम 4 के अनुसार परीक्षा उतीर्णय करने पर। 2. बेलदार/ चौकीदार हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था द्वारा सैकण्ड्री या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता तथा 5 वर्ष या 5 वर्ष से कम अनुभव होने पर टंकण गति कॉलम 4 के	वरिष्ठता एवं योग्यता	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/ बेलदार/ चौकीदार	सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा की जायेगी।

1	2	3	4	5	6	7	8
				अनुसार परीक्षा उतीर्ण करने पर।			
(ख) आशुलिपिकों का संवर्ग							
1.	वरिष्ठ निजी सचिव	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	निजी सचिव के रूप में 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	निजी सचिव	–
2.	निजी सचिव	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	वरिष्ठ निजी सहायक के रूप में 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	वरिष्ठ निजी सहायक	–
3.	वरिष्ठ निजी सहायक	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	निजी सहायक के रूप में 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	निजी सहायक	–
4.	निजी सहायक	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	आशुलिपिक के रूप में 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	आशुलिपिक (हिन्दी/ अंग्रेजी)	–
5.	(क) आशुलिपिक (अंग्रेजी) (ख) आशुलिपिक (हिन्दी) अंग्रजी के आशुलिपिक के लिए हिन्दी के आशुलिपिक के लिए	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से कला, विज्ञान या वाणिज्य में हायर सैकण्ड्री/ सीनियर हायर सैकण्डरी परीक्षा उतीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उतीर्ण	–	**टिप्पणी :–** (क) सेवा की भावी अनुसार समय समय पर सचिव द्वारा हिन्दी आशुलिपिकों के लिए पृथक पद आवंटित किये जा सकेगें।		सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा ली जायेग। (ख) इन विनियमों के लागू होने के पूर्व एक भाषा में आशुलिपि परीक्षा उतीर्ण करने के बाद भर्ती किये गये

1	2	3	4	5	6	7	8
			2. अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति तथा अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति 3. हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति तथा हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति				आशुलिपिकों को दो अग्रिम वेतन वृद्धिया स्वीकार की जायेंगी यदि वे इस अनुसूची के कॉलम 4 (ख) में पदोन्नति के लिये विहित की गई कम गति पर भी अन्य भाषा में आशुलिपि की परीक्षा उतीर्ण कर लेते है।
(ग) यांत्रिक संवर्ग						तृतीय श्रेणी सेवा	
1.	कनिष्ठ फोरमैन	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	—	आठवीं कक्षा पास तथा ड्राईवर या यांत्रिक ग्रेड द्वितीय के रूप में 10 वर्ष की सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	ड्राईवर या यांत्रिक ग्रेड I	ड्राईवर एवं यांत्रिक ग्रेड I की एकीकृत वरिष्ठता उस पद पर निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार तैयार की जायेगी।

1	2	3	4	5	6	7	8
[1	(क) सुपरवाईजर ओटो मोबाईल	100 प्रतिशत पदोन्नति	–	आठवीं कक्षा पास तथा चालक के रूप में 5 वर्ष की सेवा अथवा साक्षर के लिए 10 वर्ष की सेवा।	वरिष्ठता एवं योग्यता	चालक	–
[2	ड्राईवर	50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति	8वीं पास व भारी व हल्के वाहन न सभी प्रकार के वाहन चलाने के वाहन चलाने का लाइसेंस आयु सीमान 35 वर्ष	हैल्पर/ क्लीनर/ बेलदार/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव	वरिष्ठताा एवं योग्यता	ड्राईविंग लाइसेंस के साथ हैल्पर/ क्लीनर/ बेलदार/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी]	–
3.	यांत्रिक ग्रेड I	50 प्रतिशत पदोन्नति 50 प्रतिशत सीधी भर्ती	ट्रेड में आई.टी. आई. का प्रमाण पत्र तथा 2 वर्ष का अनुभव या आठवीं कक्षापास एवं ट्रेड में 5 वर्ष का अनुभव। आयु सीमा 35 वर्ष	हैल्पर/ क्लीनर के रूप में 5 वर्ष का अनुभव	वरिष्ठता एवं योग्यता	–	ट्रेड की परीक्षा ली जायेगी जिसमें एक ऐसे सदस्य को सहवरित किया जायेगा जो या तो सरकारी मोटर गैरेज, आई टी आई का या पोलीटेक्नीक का तकनीकी अधिकारी हो।

1	2	3	4	5	6	7	8
[1(ग–1) लिफ्ट संवर्ग							
1.	वरिष्ठ लिफ्ट ऑपरेटर वेतन श्रंखला–9 (4000–6000)	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	लिफ्ट ऑपरेटर के रूप में 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	लिफ्ट ऑपरेटर	–
2.	लिफ्ट ऑपरेटर वेतन श्रंखला (3050–4590)	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	आई टी आई में डिप्लोमा एवं 6 माह का लिफ्ट ऑपरेटर का अनुभव	–	–	–	–
1. अधिसूचना संख्या एफ.12 (81) जविप्रा में प्रकाशित							
			(घ) भू – अभिलेख संवर्ग				
			द्वितीय श्रेणी सेवा				
1.	अधिशासी अधिकारी (भूमि)	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	5 वर्ष	योग्यता एवं वरिष्ठता	भू–अभिलेख अधिकारी	–
			तृतीय श्रेणी सेवा				
2.	भू–अभिलेख अधिकारी	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	5 वर्ष	वरिष्ठता एवं योग्यता	सहायक भू–अभिलेख अधिकारी निरीक्षक	
3.	सहायक भू–अभिलेख अधिकारी	75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	स्नातक	5 वर्ष	वरिष्ठता एवं योग्यता		
4.	निरीक्षक	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	हायर सैकण्डरी	स्नातकों के लिए 7 वर्ष एवं अन्य के लिए 10 वर्ष	वरिष्ठता एवं योग्यता	सर्वे सहायक	–
5.	सर्वे सहायक	100 प्रशित सीधी भर्ती	सैकेण्डरी	–	–	–	–

टिप्पणी : 1. अमीनों/पटवारियों के विद्यमान पदों का पदनाम सर्वे सहायक होगा।

2. राजस्व निरीक्षकों के विद्यमान पदों का पदनाम निरीक्षक (भू–अभिलेख) होगा।

3. नायब तहसीलदारों/तहसीलदारों के विद्यमान पदों का पदनाम सहायक भू–अभिलेख अधिकारी/भू–अभिलेख अधिकारी होगा।

(ड) वसूली संवर्ग

तृतीय श्रेणी

1. वसूली अधिकारी (वेतनमान सं. 17)	100% पदोन्नति द्वारा	–	वसूली निरीक्षक अथवा समकक्ष पद पर 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	वसूली निरीक्षक अथवा समकक्ष पद	–
2. वसूली निरीक्षक (वेतनमान सं. 12)						

1[अनुसूची संख्या -X – कम्प्यूटर सेवा

प्रथम श्रेणी सेवा

1. सिस्टम एनालिस्ट (11300–16200)	100 प्रतिशत पदोन्नति	–	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर के रूप में 3 वर्ष की सेवा	योग्यता एवं वरिष्ठता	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	–
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (10000–15200)	50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या गणित या सांख्यिकी या कम्प्यूटर विज्ञान सहित स्नातक अथवा राज्य सरकार द्वारा उसके समतुल्य मानी गई कोई विदेश अर्हता तथा सिस्टम एनालिस्ट तथा डिजाई तथा प्रोग्रामिंग लेंग्वेजेज में छः माह का औपचारिक प्रशिक्षण अथवा सिस्टम में विशेषीकरण के साथ व्यापार प्रशासन में स्नाकोत्तर	प्रोग्रामर के पद पर पांच वर्ष की सेवा	योग्यता एवं वरिष्ठता	प्रोग्रामर	–

							2. कम्प्यूटर फील्ड में पांच वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम्प्यूटर एप्लीकेशन के डिजाईनिंग और डेवलपिंग का तथा बेसिक, कोबोल/ फोरट्रान में प्रोग्रामिंग का कम से कम तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिये : परन्तु यह है कि यदि विहित अनुभव वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो फील्ड अनुभव संबंधी शर्त को कम करके तीन वर्ष किया जा सकेगा जिसमें कम्प्यूटर एप्लीकेशन के डिजाइनिंग और डेवलपिंग का तथा कोबोल/फोरट्रान में प्रोग्रामिंग व्यवहारिक अनुभव कम से कम दो वर्ष का होना चाहिए

तृतीय श्रेणी सेवा

3.	प्रोग्रामर (6500–10500)	60 प्रतिशत सीधी भर्ती, 40 प्रतिशत	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी	कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर 5	योग्यता एवं वरिष्ठता	कम्प्यूटर ऑपरेटर	–

		पदोन्नति द्वारा	विश्वविद्यालय का गणित या सांख्यिकी या विज्ञान या अर्थशास्त्र या वाणिज्य विषय के साथ स्नातक अथवा राज्य सरकार द्वारा उसके समतुल्य मानी गई कोई विदेशी अर्हता तथा किसी संस्थान से प्रोग्रामिंग लेंग्वेजेज जैसे कि बेसिक, कोबोल/ फोरट्रान में छः माह का औपचारिक प्रशिक्षण और उपरोक्त में कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का दो वर्ष का अनुभव : परन्तु यह है कि यदि विहित अनुभव वाले अभयार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो लेंग्वेजेज जैसे कि बेसिक, कोबोल/ फोरट्रान में कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग की शर्त को कम करके एक वर्ष किया जा सकेगा।	वर्ष की सेवा			
4.	(सूचना सहायक)	50 प्रतिशत सीधी भर्ती	Graduate with Computer	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के	योग्यता एवं वरिष्ठता	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	–

कम्प्यूटर ऑपरेटर (5000–8000)	एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	Science or Electronics of a University established by law in India Or 3 Year Diploma in Computer Application from a polytechnic Institution recognised by the Government. Or Graduate of a University established by law in India with Diploma in Computer Science/ Computer Application of a University established by law in India or of an Insitiution recognised by the Government. Or Graduate of University established by law in India with "O" Level Certificate Course conducted by the compter society of India under the control of	पद पर 5 वर्ष की सेवा

			Department of Electronics, Government of india. Or Graduate of a University established by law in India with Data Preparation and Computer Software Certificate Organished under National/ State Council of Vocational Training Scheme." (As amended by thc Government of Rajasthan vide Amendment Notification dated 29-05-1997, published in the Rajasthan Gazette Extraordinary dated 31-05-1997).		
5.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (4000–6000)	100 प्रतिशत सीधी भर्ती	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का स्नातक अथवा सरकार द्वारा उसके समतुल्य मानी गई कोई विदेशी अर्हता तथा कम्प्यूटर पर प्रति घंटा 8000 डिप्रेशन की गति।		

अनुसूची संख्या – XI

1.	जनसंपर्क अधिकारी	50 प्रतिशत सीधी भर्ती व 50 प्रतिशत पदोन्नति	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के समाचार पत्रों का अथवा राष्ट्रीय न्यूज एजेन्सी अथवा सेन्ट्रल और राज्य स्तरीय जनसम्पर्क विभाग अथवा सूचना और प्रसारण विभाग से पत्रकारिता का 5 वर्ष का कार्यानुभव अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पत्रकारिता में डिप्लोमा अथवा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोतर उपाधि के साथ किसी राष्टीय अथवा राज्य स्तरीय समाचार पत्र अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के जनसम्पर्क अथवा सूचना प्रसारण विभाग में 3 वर्ष का अनुभव।	सहायक जनसम्पर्क के पद का 5 वर्ष का अनुभव	वरिष्ठता एवं योग्यता	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	–

2.	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	50 प्रतिशत सीधी भर्ती व 50 प्रतिशत पदोन्नति	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा उसके समकक्ष योग्यता साथ ही किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के कार्यालय में अथवा राज्य सरकार के अथवा भारत सरकार के जनसम्पर्क विभाग में पत्रकारिता का 3 वर्ष का अनुभव अथवा स्नातक के साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा हिन्दी या अंग्रेजी में स्तानतकोतर व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी।	स्वागतकर्ता के पद का 7 वर्ष का अनुभव	वरिष्ठता एवं योग्यता	स्वागतकर्ता	–
3.	स्वागतकर्ता	100 प्रतिशत सीधी भर्ती	हिन्दी या अंग्रेजी में से एक विषय में स्नातक और आवाज आल इण्डिया रेडियों से अनुमोदित हो	–	–	–	–

सचिव,
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।